भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)

जनरल कौंसिल बैठक

17 – 20 जुलाई, 2004

नासिक, महाराष्ट्र

महासचिव की रिपोर्ट

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)
जनरल कौंसिल बैठक
17–20 जुलाई, 2004
नासिक, महाराष्ट्र

महासचिव की रिपोर्ट

प्रिय साथियो,

हम चेन्नै में दिसम्बर 2003 में आयोजित ग्यारहवें महाधिवेशन के बाद पहली बार यहां जनरल कौंसिल की बैठक कर रहे हैं। ग्यारहवें महाधिवेशन के पश्चात् राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घट चुकी हैं जो श्रमिक आंदोलन के लिये निर्णायक महत्व की है।

1. परिचय

1.1 अध्यक्षीय भाषण में पूरी गहराई के साथ अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का विवेचन किया गया है और यह भी बताया जा चुका है कि देश के श्रमिक आंदोलन पर इनका कैसा प्रभाव पड़ेगा इसलिये इस रिपोर्ट में हम उन्हें दोहराने से संकोच करेंगे। फिर भी, मैं यहां इस तथ्य का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा कि विश्व पूंजीवादी व्यवस्था इन दिनों लगातार ठहराव एवं संकट से दोचार हो रही है। ब्रेटनवुड संस्थान भले ही कितनी ही आत्म श्लाघा क्यों न करें और चीख चीख कर आर्थिक बहाली के लम्बे चौड़े दावे क्यों न करें किन्तु यह तथ्य तो अपने स्थान पर बना ही हुआ है कि यह सबसे अधिक समय तक चलने वाले मंदे की स्थिति है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शायद ही ऐसी हालत कभी देखी गई हो।

1.2 दिन प्रतिदिन फैलती चली जा रही गरीबी, असमानताओं की गहरी होती चली जा रही खाई और बेरोजगारों की पंक्तियों के लम्बे होते चले जाने जैसी समस्याओं का समाधान करने के मामले में शायद ही पहले कभी नव–उदार भूमण्डलीयकरण का माडल इतनी बुरी तरह विफल रहा हो; इसके साथ सामाजिक अशांति बढ़ती चली जा रही है जिसकी अभिव्यक्ति अनेक प्रकार से हो रही है और वह भी इतनी नंगई के साथ कि कोष एवं बैंक माडल के प्रचारक प्रतिरक्षा की स्थिति में धकेले जा चुके है। विकसित तथा विकासशील देशों दोनों में जनता के जनवादी अधिकारों, श्रमिकों की गरिमापूर्ण आजीविका तथा सामाजिक सुरक्षा पर हो रहे हमलों की गति बढ़ती चली जा रही है।

1.3 आइएलओ द्वारा फिनलैंड तथा तनजानियां के राष्ट्रपतियों की अध्यक्षता में गठित 'भूमण्डलीयकरण के सामाजिक आयामों पर विश्व आयोग' की रिपोर्ट का आरम्भ इस उल्लेख के साथ हुआ है: ''भूमण्डलीयकरण के वर्तमान रास्ते को बदलना ही होगा.....गरीबी, बहिष्करण तथा असमानता जैसी बुनियादी समस्याएं बनी हुई हैं.

....भूमण्डलीय अर्थ व्यवस्था के मौजूदा कामकाज में गहरा असंतुलन बना हुआ है जो नैतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही यह राजनीतिक रूप से चिर स्थायी रह सकता है,'' उसका यह कहना अकारण नहीं है।

1.4 श्रमिक आंदोलन के लिये जबरदस्त उत्साह का स्रोत तथा आश्चर्यजनक पहलू यह है कि गहराते चले जा रहे पूंजीवादी संकट तथा बढ़ते हमलों का सामना करने के लिये विश्व भर में मेहनतकश अवाम तथा श्रमिक वर्ग द्वारा नव–उदार भूमण्डलीयकरण का प्रतिरोध करने का रुझान बढ़ता चला जा रहा है।

2. राष्ट्रीय स्थिति

2.1 सीआइटीयू के ग्यारहवें महाधिवेशन के बाद की अवधि में देश के राजनीतिक परिदृश्य में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घट चुकी हैं। हाल ही में सम्पन्न संसदीय चुनाव इस अवधि की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना हैं, इसमें संदेह नहीं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान में विधान सभा चुनावों के परिणामों से उत्साहित होकर भाजपा ने तेरहवीं लोक सभा को समय से पहले भंग करके आम चुनाव कराने का मन बना लिया। हमें इस बात का स्मरण फिर से करना होगा कि भाजपा की ओर से 'लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के लिये पांच वर्ष की अवधि निर्धारित किये जाने' के पक्ष में तर्क दिये गए थे और संविधान की समीक्षा कराने की कार्रवाई करने पर वह तुल ही गई थी। किन्तु अब यह बात खत्म हो चुकी है और देश को चुनावी समर में कूदना पड़ गया; आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उड़ीसा की राज्य विधान सभाओं के चुनाव भी लोक सभा चुनावों के साथ कराए गए।

2.2 कुल मिला कर चुनाव परिणाम एनडीए सरकार तथा उसकी नीतियों के खिलाफ जनादेश को प्रतिबिम्बित करते हैं। दूसरी ओर यह भी एक तथ्य है कि देश भर में एनडीए के विरोधी दलों के बीच एकता नहीं थी; यदि उनमें एकता होती तो चुनावों में भाजपा का पूरी तरह सफाया हो गया होता।

2.3 लोक सभा के इन चुनावों में वाम दलों के सदस्य पहले से अधिक संख्या (64) में चुने गए हैं। पश्चिम बंगाल तथा केरल जैसे गढ़ों में वाम दलों के चुनाव प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार आया है और केरल में कांग्रेस एक सीट भी जीत नहीं सकी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा पंजाब को छोड़ कर और किसी दूसरे राज्य में भाजपा तथा उसके सहयोगी दल अपनी पिछली स्थिति को बनाए नहीं रख सके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान में वे अपनी स्थिति को बेहतर बनाने में सफल रहे हैं क्योंकि इन राज्यों के विधान सभा चुनावों में शर्मनाक पराजय के बाद कांग्रेस का मनोबल बहुत गिर चुका था।

2.4 वाजपेयी सरकार की ओर से तेरहवीं लोक सभा को भंग किये जाने के बाद प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में जबरदस्त प्रचार अभियान चलाया गया; 'भारत उदय' तथा 'खुशनुमा अहसास' के झूठे नारे लगाए गए। भाजपा ने 'भारत उदय यात्रा' का आयोजन भी किया। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं उद्योगों को इस अभियान के लिये भारी धन लगाने पर मजबूर किया। अंतरिम बजट में उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को संवारने के लिये दिल खोल कर राजकोष में से भारी भरकम छूटें एवं राहतें प्रदान कीं। अपने राजनीति से प्रेरित अभियान के लिये वे सार्वजनिक कोष का दुरुपयोग करने से भी बाज नहीं आए। उन्होंने चुनाव आयोग के आदेशों व गुस्से की परवाह भी नहीं की। देश के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी भी झूठ और प्रपंच से भरा प्रचार नहीं हुआ था और वह भी कर दाताओं के धन को पानी की तरह बहा कर।

2.5 वामपक्षी दलों ने एनडीए की हार को यकीनी बनाने के लिये अपनी चुनावी रणनीति बनाई; पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में उन्होंने अपने बल पर एनडीए से लोहा लिया; उन्होंने जहां लोक सभा में वामपक्षी दलों की सदस्य संख्या को बढ़ाने के लिये काम किया वहीं उन्होंने दूसरे धर्म निरपेक्ष दलों को भी भाजपा और उसके सहयोगी दलों के प्रत्याशी के खिलाफ एक प्रत्याशी को मैदान में उतारने के लिये प्रेरित किया ताकि धर्म निरपेक्ष दलों के मतों को बंटने से रोका जा सके। किन्तु अधिकांश राज्यों में इसे कार्यरूप नहीं दिया जा सका। इसके परिणामस्वरूप भाजपा की सदस्य संख्या को और कम नहीं किया जा सका और वह लोक सभा में कांग्रेस के बाद दूसरे सबसे बड़े दल के रूप उभर कर आई है। वाम दल इस मामले में स्पष्ट थे कि कांग्रेस की नीतियां वास्तव में एनडीए की नीतियों का विकल्प नहीं हैं, किन्तु इस पर भी वे 14 वीं लोक सभा के चुनावों के बाद केन्द्र में धर्म निरपेक्ष सरकार की स्थापना के लिये प्रतिबद्ध थे। कांग्रेस लोक सभा में एक मात्र सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई थी और केन्द्र में उसके सहयोग से ही सरकार का गठन किया जा सकता था।

2.6 सीआइटीयू ने 24 फरवरी की हड़ताल के तत्काल बाद लोक सभा चुनावों में भाजपा के नेतश्त्व वाले गठबंधन को धूल चटाने का आह्वान किया था। हमने मतदाताओं से वामपक्ष को मजबूत बनाने और जहां कहीं वाम पक्ष के प्रत्याशी नहीं हैं वहां पर सबसे अधिक प्रभावी धर्म निरपेक्ष दलों के प्रत्याशी को मत देने का अनुरोध किया था। इन चुनावों में एनडीए गठबंधन को पराजय का मुंह देखना पड़ा; इसके फलस्वरूप केन्द्र में कांग्रेस के नेतश्त्व में सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया और वाम पक्षी दलों द्वारा बाहर से सरकार का समर्थन किया गया।

2.7 चुनावों के परिणामों ने नव–उदार भूमण्डलीयकरण की नीतियों के कष्टदायक दुष्परिणामों के खिलाफ जनता के तीव्र आक्रोश को प्रतिबिम्बित किया है; एनडीए सरकार अपनी पूरी शक्ति के साथ इन नीतियों का पालन कर रही थी। इन चुनावों विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक के चुनावों परिणामों का सार यही है कि जन साधारण ने आर्थिक नीतियों के कोष/बैक माडल को बुरी तरह ठुकरा दिया है क्योंकि यह माडल अमीरों को और अमीर बनाता है तथा जन साधारण के लिये रोजगारहीनता, घोर दरिद्रता तथा वंचना की स्थिति लाने वाला है। इन परिणामों ने साम्प्रदायिक शक्तियों के लिये जनता में बढ़ रहे प्रतिकार को भी व्यक्त किया है।

2.8 हड़ताल के अधिकार की रक्षा के लिये 24 फरवरी को देश व्यापी हड़ताल की गई थी; इस हड़ताल ने भी देश भर में और विशेष तौर पर संगठित श्रमिक आंदोलन जिसने चुनाव अभियान में निर्णायक भूमिका निभाई थी, एनडीए विरोधी जनमत तैयार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस रिपोर्ट में 24 फरवरी की हड़ताल तथा उसकी तैयारी के लिये चलाए गए अभियान की समीक्षा आगे चल कर दी गई है।

2.9 अब चुनावों के बाद देश का जो राजनीतिक परिदृश्य बना है, उसे देखते हुए हमें मौजूदा स्थिति की वस्तुपरक समीक्षा करनी होगी और अपने भावी संघर्षो का कार्यक्रम बनाना होगा। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की ओर से बनाए गए सांझे न्यूनतम कार्यक्रम को क्योंकि नयी सरकार ने अपना लिया है फिर भी उसकी आर्थिक नीतियों की सत्ता की बुनियादी दिशा में कोई बदलाव नहीं आया है। यद्यपि उसमें कुछ सकारात्मक रुझान देखने को मिले हैं और 'खेतिहर श्रमिकों को संरक्षण देने,' 'ग्रामीण परिवारों को वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिये रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी', 'सभी खेतिहर श्रमिकों के लिये सर्वसमावेशी संरक्षणात्मक कानून बनाने और उनके लिये न्यूनतम वेतन सम्बन्धी कानूनों को पूरी तरह लागू करने', 'कृषि के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने', 'हायर एण्ड फायर के विचार को रद्द किये जाने', 'निजीकरण के प्रश्न पर मामला दर मामला विचार किये जाने', 'सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहने

देने' जैसे सद्भावना से प्रेरित वक्तव्य भी दिये गए है।

2.10 हमें यह भी उल्लेख करना होगा कि चुनाव परिणामों की घोषणा हो जाने के तत्काल बाद अनेक कांग्रेस नेताओं और उनके साथ–साथ दूसरे दलों के नेताओं की ओर से ऐसे वक्तव्य दिये गए जिनमें सुधारों के प्रति उनका प्रेम स्पष्ट झलक रहा था और उन्होंने तथा कथित 'आर्थिक सुधारों' को जारी रखे जाने के लिये अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। यह बात भी ध्यान में रखे जाने की जरूरत है कि यूपीए के सभी घटक सुधारों के पक्षधर हैं। दिल्ली और मुम्बई के हवाई अड्डों के निजीकरण के लिये वर्तमान में जारी प्रयासों को भी हमें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहिये जबकि सांझे न्यूनतम कार्यक्रम में इसके लिये कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की गई थी। इस प्रकार की परिस्थितियों में यदि उदारीकृत नीति की सत्ता बनी रहती है तो सीएमपी में किये गए वादे बस वादे ही बन कर रह जाएंगे। जनता को इसके खिलाफ लामबंद करके ही आर्थिक नीतियों की दिशा में बदलाव लाया जा सकेगा।

2.11 बाजार के चालबाजों जिनकी पीठ पर कार्पोरेट लाबी तथा विदेशी निवेशकों का हाथ था, की ओर से 17 मई को उस समय भयानक मंदे का घिनावना खेल खेला गया जब नयी सरकार के गठन की प्रक्रिया चल ही रही थी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया की ओर से वामपक्ष को निशाना बना कर इस मामले को तूल दिया गया। इसका उद्देश्य साफ था और वह अब भी बना हुआ है कि आर्थिक नीति बनाने के मामले में वामपक्षी दलों के विचारों की अवहेलना कर दी जाए। यदि 17 मई के शेयर बाजार के घोटाले की जांच कराई जाए तो निश्चित रूप से लोगों द्वारा ठुकराए जा चुके एनडीए गठबंधन, कार्पोरेट लाबी तथा शेयर बाजार के धन्ना सेठों का नापाक गठजोड़ बेनकाब हो जाएगा। निहित स्वार्थी तत्वों की ओर से डाले जा रहे इन दबावों के खिलाफ हमें संघर्ष करना होगा।

2.12 वर्तमान परिस्थितियों में श्रमिक आंदोलन को भाजपा के नेतश्त्व वाली साम्प्रदायिक शक्तियों को और अधिक अलग–थलग किये जाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अपने संघर्ष के भावी कार्यक्रम का निर्धारण करना होगा। इसके साथ ही जन साधारण की आजीविका तथा अधिकारों की रक्षा के लिये श्रमिक वर्ग को लामबंद भी करना होगा।

2.13 एनडीए सरकार की पराजय ने मेहनतकश लोगों में भारी आशाओं को जन्म दिया है; ये वही लोग हैं जिन्होंने उसके शासनकाल में अपने अधिकारों तथा आजीविका पर हमलों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया था। हमें इन अपेक्षाओं के पक्ष में जोरदार आवाज उठानी होगी; उसके लिये पूरी शक्ति के साथ अभियान चलाना होगा तथा जन लामबंदी करनी होगी। हमें मांग करनी होगी कि आर्थिक नीतियों को जन मुखी बनाया जाए तथा जनवादी अधिकारों का विस्तार किया जाए; अन्यथा लोग हतोत्साहित होने लग जाएंगे और इसका लाभ साम्प्रदायिक शक्तियों की ओर से उठाया जाएगा जो पहले ही इस ताक में बैठी हुई हैं। लोगों को इस दिशा में लामबंद किये जाने का दायित्व श्रमिक वर्ग को अपने कंधों पर लेना होगा; साम्प्रदायिक ताकतों को और अधिक अलग–थलग करना उसके राजनीतिक कार्य का अभिन्न अंग है; इसके साथ ही उसे वामपक्ष के हस्तक्षेप में सहायता देना तथा उसे मजबूत बनाने का काम करना होगा; उसे यकीनी बनाना होगा कि केन्द्र की सरकार लोगों के लिये काम करे। श्रमिक वर्ग की ओर से तृणमूल स्तर पर की गई लामबंदी नीति सम्बन्धी मामलों में वाम दलों के हस्तक्षेप को और अधिक प्रभावी बनाएगी। देश में धर्म निरपेक्ष शासन को बनाए रखने और साम्प्रदायिक शक्तियों को अलग–थलग किये जाने के लिये इस प्रकार का हस्तक्षेप न केवल निर्णायक बल्कि अनिवार्य भी है। इसके साथ–साथ हमें साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ अलग से भी प्रचार अभियान चलाना होगा। हमें मांग करनी होगी कि सरकार की ओर से प्रशासन तथा विभिन्न शैक्षणिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थानों को भगवाकरण के विषाणुओं से मुक्त करने के लिये ठोस एवं कड़े कदम उठाए जाएं।

2.14 केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की प्रयोजन समिति के घटकों द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन जिसमें श्रमिकों तथा जन साधारण के मुद्दों को विस्तार से दिया गया था, 26 मई, 2004 को केन्द्रीय श्रम मंत्री को भेंट किया गया। इस ज्ञापन में इंटक तथा बीएमएस सहित सभी श्रमिक संगठनों की ओर से सर्वसम्मति से आठ सूत्रीय मांगे दर्ज की गई थीं। सीआइटीयू की ओर से एक ज्ञापन बजट पूर्व विचार विमर्श के समय (पांच जून को) केन्द्रीय वित्त मंत्री को भेंट किया गया; और उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जिसे यूपीए सरकार की ओर से उठाया गया था, से सम्बन्ध रखने वाली मांगों पर आधारित एक मांग पत्र प्रधानमंत्री को (23 जून) को भेंट किया गया। हमें उपरोक्त ज्ञापनों में दर्ज मुद्दों को लोकप्रिय बनाने के लिये देश भर में अभियान चलाना चाहिये और उसके लिये अधिक व्यापक लामबंदी करने की तैयारियां शुरू कर देनी चाहियें। जनरल कौंसिल की बैठक में इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिये और बीच की अवधि की समीक्षा करते हुए अपनी भावी कार्यनीति तैयार करनी चाहिये।

3. चुनाव अभियान तथा सीआइटीयू

3.1 श्रमिक आंदोलन ने लोक सभा चुनावों में भाजपा गठबंधन को पराजित किये जाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई है। श्रमिक आंदोलन ने अपनी सभी सीमाएं रहते हुए भी पिछले पांच वर्षो के दौरान एनडीए गठबंधन सरकार द्वारा अंधाधुंध उदारीकरण का अभियान चलाए जाने और उसके साथ–साथ उसके साम्प्रदायिक हथकण्डों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया है और प्रचार अभियान चलाया जाता रहा है। इस अवधि में चार देश व्यापी हड़तालें की गई; और विभिन्न रूपों में सेक्टरवार हड़तालों एवं आंदोलनों की असंख्य कार्रवाईयां की गई – ये सभी कार्रवाईयां उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीयकरण की नीतियों तथा राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था, समाज एवं श्रमिकों पर उनके कष्टकारक दुष्प्रभावों के खिलाफ की गई थीं। इस संघर्षो ने अपनी कष्टपूर्ण स्थितियों के असल कारणों के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रमिक वर्ग के संघर्ष की इन्हीं कार्रवाईयों के फलस्वरूप भाजपा के नेतश्त्व वाले गठबंधन के साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने के घश्णित षडयंत्र का पर्दा फाश करने में भी सहायता मिली है जो सत्ता में बने रहने के लिये अपनी विभाजक एवं साम्प्रदायिक कार्यसूची को आक्रमक ढंग से लागू करने पर आमादा था।

3.2 सीआइटीयू ने चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद श्रमिक वर्ग का आह्वान किया कि वह भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को पराजित करे, केन्द्र में धर्म निरपेक्ष सरकार की स्थापना के पक्ष में अपने मत का उपयोग करे और संसद में वाम पक्ष की उपस्थिति निर्णायक हो, इसे सुनिश्चित बनाए। इसने श्रमिक वर्ग तथा जन साधारण से आह्वान किया था कि वे उन स्थानों में जहां वाम पक्षी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में मतदान करें और दूसरे क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभावी धर्म निरपेक्ष प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें। सीआइटीयू की ओर से अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषाओं में एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया था जिसका शीर्षक था "चुनावों में भाजपा गठबंधन को धूल चटाओ" इसकी नौ हजार प्रतियां विभिन्न राज्यों में बेची गई। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा असम जैसी राज्य समितियों की ओर से ये पुस्तिकाएं ले जाकर बेची गई; इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में इस पुस्तिका का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया और भारी संख्या में इन्हें बेचा गया। यही नहीं, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश जैसी सीआइटीयू की कुछ राज्य समितियों ने अनेक पैम्फलट प्रकाशित कराए , प्रचार अभियान में काम आने वाला साहित्य छपवाया गया और इन राज्यों में इस प्रचार सामग्री का सघन उपयोग किया गया।

3.3 सीआइटीयू के नेतश्त्व तथा कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में विशेष तौर पर उन राज्यों में जहां वाम

दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव प्रचार में सक्रियता पूर्वक काम किया। सीआइटीयू के अनेक नेताओं ने चुनाव लड़ा तथा वे संसद के लिये चुने गए। सीपीआइ (एम) के नव निर्वाचित 44 सांसदों जो पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से चुने गए हैं, में से अनेक श्रमिक संघों के साथ जुड़े हुए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश में सीआइटीयू के पूर्व सचिव कामरेड एम ओ गफूर राज्य विधान सभा के लिये नव निर्वाचित नौ विधायकों में से एक है। उड़ीसा तथा कर्नाटक में भी सीपीआइ (एम) विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

4. सीआइटीयू का ग्यारहवां महाधिवेशन : एक समीक्षा

4.1 सीआइटीयू के ग्यारहवां महाधिवेशन का समापन 13 दिसम्बर, 2003 को चेन्नै में हुआ। सीआइटीयू सैक्रेटेरिएट की ओर से महाधिवेशन की विस्तशत समीक्षा की गई है और भविष्य में होने वाले महाधिवेशनों के लिये विशेष सिफारिशें की हैं। समीक्षा की रिपोर्ट सभी राज्य समितियों को भेजी गई थी और उनसे उस पर अपनी टिप्पणियां एवं विचार भेजग्ने के लिये अनुरोध किया गया था। दुर्भाग्यवश, सीआइटीयू केन्द्र को अभी तक उनकी ओर से कोई टिप्पणी अथवा विचार भेजा नहीं गया। समीक्षा की रिपोर्ट पर बहस करते समय जनरल कौंसिल को गम्भीरता के साथ उसमें दिये गए सुझावों पर विचार करना चाहिये।

4.2 सीआइटीयू की तमिलनाडु राज्य समिति ने महाधिवेशन को सफल बनाने के लिये सराहनीय काम किया है। महाधिवेशन का आयोजन स्थल, कमिशनों के आयोजन के लिये तम्बू लगाने, प्रतिनिधियों के ठहरने की व्यवस्था, शिविरों से महाधिवेशन के आयोजन स्थल तक आने जाने के लिये की गई परिवहन व्यवस्था, खाने का प्रबंध बेहद उत्तम था। किन्तु हाल में स्थान की कमी होने के कारण अनेक प्रतिनिधियों को बाहर बैठना पड़ा। इसे टाला नहीं जा सका।

4.3 महाधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या हमारे पिछले महाधिवेशनों की अपेक्षा सर्वाधिक थी जो अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सीआइटीयू की बढ़ती प्रतिष्ठा को प्रतिबिम्बित करता है। विदेशी प्रतिनिधि महाधिवेशन की कार्रवाई तथा रैली से बेहद प्रभावित हुए। विदेशी प्रतिनिधियों के संदेशों को प्रसारित किया गया और उन्हें महाधिवेशन में बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके चलते समय की भारी बचत हुई।

4.4 अखिल भारतीय केन्द्र की ओर से महाधिवेशन की तैयारियां किये जाने की प्रक्रिया में सुधार हुआ है। इस बार सीआइटीयू के पूरे सैक्रेटेरिएट की ओर से बैठक करके रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा सका। केन्द्र की ओर से महासचिव की रिपोर्ट तथा कमिशनों के दस्तावेज राज्यों को बहुत समय पहले भेज दिये गए थे ताकि वे उनका अनुवाद स्थानीय भाषाओं में करा सकें और समय रहते प्रतिनिधियों को दे सकें जिससे वे बहस के लिये तैयारी कर सकें। महासचिव की रिपोर्ट तथा कमिशनों के दस्तावेजों का हिन्दी अनुवाद भी हिन्दी भाषी राज्यों को काफी समय पहले भेजा गया।

4.5 उद्घाटन समारोह थोड़ा लम्बा खिंच गया था; इसका समय कम किया जा सकता था। उद्घाटन समारोह का आयोजन खुले में करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। प्रतिनिधियों तथा अतिथियों की ओर से अध्यक्षीय भाषण की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया।

4.6 इस बार जत्थों के स्वागत के कार्यक्रम को अच्छे ढंग से आयोजित किया जा सका। तथापि, जत्थों की योजना केन्द्र की ओर से समय पर नहीं बनाई गई थी क्योंकि कुछेक मामलों में राज्य समितियों की ओर से आवश्यक सूचनाएं समय पर नहीं भेजी गई और अंतिम क्षणों में उनमें कुछ परिवर्तन करने पड़े थे। पंजाब

राज्य समिति की ओर से अचानक कार्यक्रम बदल दिया गया। इन जत्थों ने सामान्य रूप से लोगों में अच्छा प्रभाव डाला है। राजनीतिक अभियान चलाने के उद्देश्य से इन कार्यक्रमों का बेहतर उपयोग किया जा सका; इसकी प्रचार सामग्री समय रहते तैयार कर ली गई थी और इसे काफी समय पहले स्थानीय भाषाओं में उसका अनुवाद कराने तथा जत्थों की ओर से मार्ग में वितरित किये जाने के लिये सुलभ करा दिया गया था। इसके बारे में पहले से सोचा गया था। केन्द्र को इस पहलू की ओर अगली बार और अधिक ध्यान देना होगा।

4.7 रिपोर्ट में राज्य समितियों तथा महासंघों के कामों की समीक्षा जोड़ी नहीं गई थी क्योंकि केन्द्र की ओर से इसकी सुनियोजित एवं विस्तृत समीक्षा नहीं की जा सकी थी; महाधिवेशन में कुछ प्रतिनिधियों द्वारा इस ओर ध्यान दिलाया गया था। भविष्य में इसे रिपोर्ट के साथ जोड़ा जाए, यह आवश्यक है। सीआइटीयू सैक्रेटेरिएट ने अनुभव किया था कि अगले महाधिवेशन से महासचिव की रिपोर्ट दो भागों पर आधारित होनी चाहिये; एक भाग उस समय की राजनीतिक स्थिति के राजनीतिक विश्लेषण पर आधारित हो और दूसरा संगठनात्मक स्थिति से सम्बन्ध रखता हो। एक संक्षिप्त रिपोर्ट जिसमें राजनीतिक संघर्षों को मजबूत बनाने पर बल दिया जाए, प्रतिनिधियों में अधिक उत्साह का संचार करेगी।

4.8 कुछेक प्रतिनिधियों ने घोर अनुशासनहीनता का परिचय दिया है; यह इस महाधिवेशन का एक दुःखद पहलु रहा। अनेक प्रतिनिधि कभी हाल के भीतर आते तथा कभी बाहर जाते रहे; अनेक प्रतिनिधि दोपहर एवं रात्रि खाने का समय होने से पहले ही डायनिंग हाल में लम्बी कतारे लगा लेते। यह सिलसिला उस समय भी चलता रहा जब महाधिवेशन की कार्रवाई चल रही होती।

4.9 समय का अभाव होने के कारण महासंघों तथा समन्वय समितियों के सभी प्रतिनिधियों को महासचिव की रिपोर्ट पर बोलने के लिये समय नहीं दिया जा सका। महासचिव की रिपोर्ट बहस में उन्हें बोलने के लिये मौका देना जरूरी है। भविष्य में इसके अनुरूप समय की व्यवस्था करनी होगी। अनुवाद के लिये और अधिक समय का आबंटन करना जरूरी है।

4.10 केरल जैसे मजबूत राज्य की ओर से कट आफ तिथि से पहले वार्षिक विवरणियां जमा नहीं कराई गई जबकि इसके बारे में जनरल कौंसिल की कटक बैठक में ही फैसला ले लिया गया था और राज्य समितियों से कहा गया था कि वे महाधिवेशन से कुछ दिन पहले प्राप्त अपनी सदस्य संख्या के आधार पर प्रतिनिधि लाएं। इसके चलते आयोजकों के लिये अनेक कठिनाईयां पैदा हो गईं। जनरल कौंसिल के फैसले की अनदेखी करना सही नहीं है और कमजोर राज्यों के लिये यह अच्छी उदाहरण नहीं है।

4.11 यद्यपि अनेक राज्यों जिनमें हिन्दी भाषी राज्य भी शामिल है, ने निर्धारित कोटे के अनुसार महिला प्रतिनिधियों को लाने के लिये गम्भीरतापूर्वक प्रयास किये थे। इस पर भी महिला प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित कोटे से कम रही। केरल, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा जैसे राज्यों से महिलाओं का प्रतिनिधित्व निर्धारित कोटे से कहीं कम था।

4.12 जनरल कौंसिल तथा कार्य समिति के प्रस्ताव को समय पर प्रतिनिधियों में वितरित नहीं किया जा सका जबकि इसके बारे में पहले यही कार्यक्रम बनाया गया था। इसका कारण यह था कि अनेक राज्यों की ओर से उनमें शामिल किये जाने वाले नामों की सूची समय पर नहीं दी गई। इसके परिणामस्वरूप नामों की लम्बी सूची को पढ़ना पड़ा और समय की बहुत बर्बादी हुई। राज्य समितियों को समय रहते अपने नामों की सूची उपलब्ध करा देनी चाहिये ताकि इस प्रकार की असुविधाजनक स्थिति न बने और बहस के लिये समय की बचत हो सके।

4.13 हम सीआइटीयू के पदाधिकारियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने में सफल रहे हैं। किन्तु नव–निर्वाचित जनरल कौंसिल तथा कार्य समिति में महिलाओं की संख्या कम हुई है। क्योंकि जनरल कौसिल तथा कार्य समिति के लिये सदस्यों की कुल संख्या कम कर दी गई है और कुछ राज्यों से सदस्यों की संख्या कम हो गई है इसलिये भी महिलाओं को इसकी मार झेलनी पड़ी है। केरल से जनरल कौंसिल के लिये महिलाओं की संख्या में तीखी गिरावट आई है। इसी प्रकार, जनरल कौंसिल तथा कार्य समिति के सदस्यों की वास्तविक संख्या भी कम हो गई है। कामकाजी महिलाओं को जनरल कौंसिल तथा कार्य समिति में उचित प्रतिनिधित्व मिले यह बात राज्य समितियों को सुनिश्चित बनानी होगी।

5. 24 फरवरी की हड़ताल

5.1 सीआइटीयू के 11वें महाधिवेशन ने और कामों के अलावा 'हड़ताल के अधिकार सहित ट्रेड यूनियन एवं जनवादी अधिकारों पर हमलों के खिलाफ राष्ट्र व्यापी हड़ताल के करने के काम' का निर्धारण भी किया था। सभी प्रमुख केन्द्रीय श्रमिक संगठनों तथा औद्योगिक महासंघों की ओर से संयुक्त रूप से प्रयास किये जाने के बाद 24 फरवरी, 2004 को आम हड़ताल के लिये आह्वान किया गया। देश भर में श्रमिक वर्ग की ओर से हड़ताल के आह्वान का शानदान प्रत्युत्तर दिया गया। सत्ताधारी श्रेणी तथा सरकार की ओर से हड़ताल का दमन करने तथा उसे प्रतिबंधित करार देने के लिये सभी प्रकार की कोशिशें की किन्तु श्रमिक वर्ग ने इन सब का बहादुरी के साथ सामना किया। यह हड़ताल करके श्रमिक वर्ग ने उच्चतम न्यायालय की ओर से की गई विनाशकारी घोषणा के संदर्भ में हड़ताल करने के अपने अभिन्न अधिकार के पक्ष में अपनी जोरदार आवाज बुलंद की थी; उसने स्पष्ट कर दिया था कि यह अधिकार उससे छीना नहीं जा सकता; उसने इसके साथ ही केन्द्रीय सरकार की विनाशक आर्थिक नीतियों जिनके परिणामस्वरूप दरिद्रता, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है तथा निजीकरण एवं कामबंदियों का सिलसिला अंधाधुंध चल रहा है, के खिलाफ भी अपने विरोध के स्वर को बुलंद किया था। श्रमिक वर्ग की ओर से भारी प्रत्युत्तर दिया गया और उसने 'भारत उदय' तथा 'खुशनुमा अहसास' के कारक जिसका एनडीए सरकार की ओर से जोरशोर से प्रचार किया जा रहा था, की धज्जियां भी उड़ा डालीं थी।

5.2 इंटक का नेतश्त्व पहले इस हड़ताल के पक्ष में था; उसने हड़ताल में भाग लेने पर विचार करने के आश्वासन भी दिया था, किन्तु बाद में वह अपनी बातों से पलट गया। बीएमएस का नेतश्त्व हड़ताल से बाहर रहा जबकि उसने सरकार की आर्थिक नीतियों तथा हड़ताल करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का विरोध करने के लिये बार–बार घोषणाएं की थीं। एचएमएस के नेतश्त्व ने भी हड़ताल का अनुमोदन नहीं किया।

5.3 श्रमिक आंदोलन के नेतश्त्व के एक भाग की ओर से हड़ताल करने के लिये आह्वान करने के प्रति दिखाए जा रहे ढीलेपन एवं अनिश्चित रुख का प्रतिकार करना हमारे लिये जरूरी था; इस ढीलेपन के कारण ही हड़ताल की तिथि का निर्धारण करने के मामले में काफी देरी हो गई थी। उच्चतम न्यायालय ने हड़ताल करने के अधिकार पर अपने निर्णय की घोषणा 6 अगस्त, 2003 को की थी। यह घोषणा उस समय की गई थी जब तमिलनाडु की सरकार की ओर से कर्मचारियों तथा शिक्षकों के खिलाफ दमन की कार्रवाईयां की जा रही थीं और आतंक का दौर दौरा था। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ चहुंओर रोष एवं आक्रोश फैल गया था; इस पर भी एटक सहित कुछ श्रमिक संगठनों के विरोध के चलते 27 सितम्बर, 2003 को आयोजित अखिल भारतीय कन्वेंशन में हड़ताल की तिथि को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। सीआइटीयू की ओर से इस मामले दृढ़ रुख अपनाया गया; उसके कारण ही हड़ताल सहित देश व्यापी कार्रवाई किये जाना यकीनी

बनाया जा सका और उसकी तिथि का निर्धारण बाद में करने का फैसला किया गया; इसे कन्वेंशन के घोषणापत्र में जोड़ा गया। सीआइटीयू के 11 वें महाधिवेशन की ओर से दृढ़तापूर्वक हड़ताल के अधिकार पर देश व्यापी हड़ताल करने की घोषणा की गई और हड़ताल की तिथि का निर्धारण किये जाने की दिशा में काम करना शुरू किया गया। राज्य सरकारी कर्मचारियों के अखिल भारतीय महासंघ तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के परिसंघ की ओर से भी इस दिशा में पहलकदमी की गई। इन दोनों संगठनों की ओर से केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को अपील की गई थी कि वे हड़ताल की तिथि की घोषणा जल्द से जल्द करें।

5.4 24 फरवरी की हड़ताल करने का आह्वान बीएमएस, इंटक तथा एचएमएस को छोड़ कर शेष सभी प्रमुख केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से किया गया था। सीआइटीयू की राज्य समितियों, यूनियनों, फैडरेशनों और उनके साथ–साथ बैंक, बीमा तथा सरकारी कर्मचारियों के स्वतंत्र महासंघों की ओर से हड़ताल की तैयारियों के लिये देश भर में प्रचार अभियान चलाने के लिये पहलकदमियां की गई। अनेक राज्यों में संयुक्त रूप से प्रचार अभियान चलाए गए तथा कन्वेंशनों का आयोजन किया गया। एटक तथा उसके बाद इंटक तथा एचएमएस की ओर से भी उच्चतम न्यायालय में समीक्षा के लिये याचिका दायर की गई। एनडीए सरकार की ओर से लोक सभा भंग करके नये चुनाव कराने का फैसला किया गया; उससे पहले आंध्र प्रदेश में तेलगू देशम की सरकार की ओर से भी इसी प्रकार की कार्रवाई की गई; इसके चलते हड़ताल का निर्णय लेने के मामले में अनिश्चितता की हालत पैदा हो गई। हमारे कार्यकर्ताओं की एक श्रेणी में भी भ्रांति पैदा हो गई और विभिन्न राज्य समितियों तथा संगठनों की ओर से सीआइटीयू केन्द्र से पूछा जाने लगा कि क्या हड़ताल का निर्णय अंतिम है। इससे इन श्रेणियों में हड़ताल की तैयारियों के लिये हमारे द्वारा चलाए गए प्रचार अभियान की कमियों का पता चलता है। इतनी सारी रुकावटें होने पर भी हड़ताल के लिये प्रचार अभियान ने गति पकड़ी और उसके लिये माहौल बनाया जा सका; श्रमिकों तथा कर्मचारियों की ओर से हड़ताल के पक्ष में सहज स्वभाविक प्रत्युत्तर दिया गया। *इस तथ्य का उल्लेख किया जाना होगा कि हड़ताल तथा उससे पहले उसके लिये चलाए गए प्रचार अभियान के फलस्वरूप चुनाव प्रचार अभियान चलाने के समय एनडीए सरकार की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ माहौल बनाने तथा उसकी पराजय को यकीनी बनाने में भारी सहायता मिली है।*

5.5 चार से लेकर पांच करोड़ श्रमिकों ने इस देश व्यापी हड़ताल में भाग लिया था; अनेक स्थानों पर श्रमिकों की ओर से बड़ी बहादुरी के साथ पुलिस दमन, लाठी चार्ज तथा गिरफ्तारियों का सामना किया। यद्यपि इंटक, एटक तथा एचएमएस ने हड़ताल का अनुमोदन नहीं किया था इस पर भी तश्ण मूल स्तर पर उनके साथ सम्बद्ध अनेक श्रमिक संघों तथा कार्यकर्ताओं की ओर से विशाल स्तर पर हड़ताल की कार्रवाई में भाग लिया गया। भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद में इंटक की यूनियन ने दूसरों के साथ मिल कर हड़ताल का नोटिस दिया और बाद में उसमें भाग लिया। अण्डेमान में इंटक के राज्य स्तरीय नेतृत्व ने सम्बद्ध यूनियनों के साथ मिल कर पोर्ट ब्लेयर में हड़ताली श्रमिकों तथा कर्मचारियों के धरने में भाग लिया जो दिन भर चला। केरल में इंटक के नेतश्त्व वाली सरकारी कर्मचारियों की यूनियन और बैंकिंग तथा बीमा सेक्टर में इंटक तथा बीएमएस के साथ सम्बद्ध यूनियनों ने देश भर में दूसरे संगठनों के साथ मिल कर हड़ताल के नोटिस दिये। इस प्रकार उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीयकरण की नीतियों और श्रमिकों के अधिकारों पर हमलों के खिलाफ आयोजित इस नौवीं देश व्यापी हड़ताल ने तश्ण मूल स्तर पर कहीं अधिक व्यापक एकता को प्रतिबिम्बित किया था।

5.6 सरकारी कर्मचारियों जिनके खिलाफ उच्चतम न्यायालय ने हड़ताल करने के प्रश्न पर अपना निर्णय दिया

था, ने कुछेक अपवादों को छोड़ कर पूरे देश में विशाल स्तर पर हड़ताल के आह्वान को प्रत्युत्तर देकर न्यायपालिका के अनुचित हस्तक्षेप का करारा जवाब दिया था। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों की विशाल संख्या ने इस हड़ताल में भाग लेकर हड़ताल के अधिकार के पक्ष में अपनी भावनाओं को जोरदार तरीके से व्यक्त किया था। शीर्ष न्यायालय की ओर से हड़ताल करने पर लगाई गई अनुचित पाबंदी को उन्होंने बहादुरी के साथ तोड़ा।

5.7 24 फरवरी की हड़ताल के उल्लेखनीय पहलू इस प्रकार हैं:

* सरकारी सेवाओं में लगे लगभग 80 लाख कर्मचारियों तथा शिक्षकों, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों ने केवल एक दो राज्यों को छोड़ कर शेष पूरे देश में हड़ताल की कार्रवाई में भाग लिया।

* यहां तक कि जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात जैसे राज्यों में भी कर्मचारियों ने विशाल स्तर पर हड़ताल में भाग लिया था।

* दूर संचार एवं डाक सेवाओं, आय कर तथा लेखा कार्यालयों जैसे केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की बहुसंख्या ने हड़ताल में भाग लिया।

* पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा जैसे राज्यों में इस हड़ताल ने बंद का रूप ले लिया था जबकि असम, हरियाणा, उड़ीसा तथा झारखण्ड और कर्नाटक के कुछ जिलों में बंद जैसी स्थिति बन गई थी।

इस आम हड़ताल में सभी क्षेत्रों के श्रमिकों ने भाग लिया अर्थात् पूरा वित्तीय क्षेत्र जिसमें बैंक एवं बीमा कम्पनियां भी आ जाती हैं; कुल 6 लाख कोयला श्रमिकों में से 70 प्रतिशत से अधिक श्रमिकों; झारखण्ड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में फैले गैर कोयला खदानों के लगभग सभी श्रमिकों; सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों ने देश भर में विशेष तौर पर बंगलौर एवं हैदराबाद में सार्वजनिक क्षेत्र के हब में काम करने वाले श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया; गोदी एवं बंदरगाह श्रमिकों ने कोलकाता, हल्दिया, कोची, गुजरात, पारादीप, टूटीकोरिन तथा जेएनपीटी (मुम्बई) में कुछ प्रमुख यूनियनों की ओर से विरोध किये जाने पर भी हड़ताल में भाग लिया; इस्पात उद्योग के बर्नपुर तथा दुर्गापुर संयंत्रों में काम करने वाले शत प्रतिशत श्रमिकों तथा सलेम में 60 प्रतिशत श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया; हरियाणा, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर तथा कुछ और राज्यों में विद्युत कर्मचारियों की ओर से कामकाजी स्थलों का बहिष्कार किया गया; इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान में भी विद्युत श्रमिकों ने भारी संख्या में हड़ताल में भाग लिया; बगीचा श्रमिकों ने देश भर में पूरी संख्या में हड़ताल में भाग लिया; ईंट के भट्ठों, बोझा ढोने वाले श्रमिकों, बीड़ी तथा मण्डियों में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की बड़ी श्रेणियों ने हड़ताल में भाग लिया; संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले निर्माण श्रमिकों जिनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा जम्मू में निर्माणाधीन पण विद्युत परियोजनाओं के श्रमिक भी शामिल हैं, ने हड़ताल में भाग लिया; आंगनवाड़ी श्रमिकों ने विशाल स्तर पर हड़ताल में भाग लिया; त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा दक्षिण राज्यों में तेल क्षेत्र में हड़ताल पूर्ण रही; अनेक शहरों के लिये वायुयानों की उड़ानों का समय दोबारा निर्धारित करना पड़ा। इस प्रकार हड़ताल में श्रमिक वर्ग की भागीदारी अभूतपूर्व रही।

5.8 तमिलनाडु में लोक सभा चुनावों के समय सत्ताधारी दल को गहरे धक्के लगे हैं; इसके बाद राज्य सरकार ने अपने उन अनेक जन विरोधी कदमों को वापस ले लिया है जो उसने पहले लिये थे। वापस लिये गए कदमों

में धर्मान्तरण विरोधी विधेयक, राज्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ की गई प्रतिशोध की कार्रवाई समाप्त करने, सभी परिवारों के लिये जन वितरण प्रणाली को सुनिश्चित बनाने, किसानों को बिजली की आपूर्ति निशुल्क करने, सभी छात्रों को बसों के निशुल्क पास जारी करना इत्यादि शामिल है।

5.9 इस पर भी हड़ताल से पहले कर्मचारियों के खिलाफ जो दण्डात्मक कार्रवाईयां की गई थीं, राज्य सरकार के कर्मचारियों को बोनस देने से इन्कार कर दिया गया था, पिछले तीन वर्षो से भी अधिक समय से लम्बित राज्य परिवहन तथा विद्युत कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, पेन्शन तथा दूसरे लाभों में कटौती, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये गठित कल्याण बोर्डो के काम नहीं करने तथा विभिन्न त्रिपक्षीय समितियों की निष्क्रियता जैसी कार्रवाईयां अब भी जारी है।

5.10 एटक की भूमिकाः हड़ताल की समीक्षा करते समय हमारे लिये चिन्ता के साथ एटक की भूमिका का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है। एटक का केन्द्रीय नेतृत्व शुरू से ही दूसरे वाम पक्षी श्रमिक संगठनों के साथ मिल कर हड़ताल का आह्वान करने के लिये काम करने से संकोच करता रहा। एटक की ओर से सहयोग नहीं दिये जाने के कारण 27 सितम्बर की कन्वेंशन मे हड़ताल के कार्यक्रम को अंतिम रूप नही दिया जा सका।

5.11 श्रमिक संघों की प्रायोजन समिति तथा एनपीएमओ को सक्रिय बनाने के प्रयासों में भी एटक का रुख ठण्डा रहा। कुछ कोयला कम्पनियों में एटक के नेतृत्व ने लिखित में प्रबंधन को यह सूचना पहले से दे दी थीं कि वे हड़ताल गें भाग नहीं लेंगे और श्रमिकों को भी हड़ताल में भाग लेने से रोकेंगे। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में भी वे श्रेणियां जो एटक के नेतृत्व के प्रभाव में थीं, हड़ताल की कार्रवाई में भाग नहीं लिया। यद्यपि आल इंडिया डिफैंस इम्पलाईज फैडरेशन ने पहले हड़ताल के आह्वान का अनुमोदन किया था तथापि एटक तथा एचएमएस के नेतश्त्व की ओर से दबाव डाले जाने के कारण वे अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट गए और अनेक प्रतिरक्षा उपक्रमों में उन्होंने हड़ताल में भाग नहीं लिया। जहां वाम आंदोलन मजबूत है और हड़ताल के पक्ष में अनुकूल वातावरण पाया जा रहा था, वहां एटक के कार्यकर्ताओं की ओर से हड़ताल के लिये प्रचार अभियान में भाग लिया गया; किन्तु जहां यह आंदोलन कमजोर है वहां उनकी हिचकिचाहट साफ देखी गई। हमने इन पहलुओं की ओर एटक के नेतश्त्व का ध्यान आकृष्ट किया है और हम आशा करते है कि वे संयुक्त आंदोलन को मजबूत बनाने के लिये अपने रुख में सुधार लाएंगे।

5.12 इसी प्रकार एचएमएस ने भी खुद को हड़ताल के आह्वान से अलग रखा था; यह अशांत कर देने वाली घटना है। एचएमएस श्रमिक संघों की प्रायोजन समिति का भाग रही है और उसने 1991 के बाद सभी देश व्यापी हड़तालों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। किन्तु इस बार एचएमएस के नेतृत्व ने हड़ताल के संयुक्त आह्वान का अनुमोदन नहीं करना ही उचित समझा; इसकी अपेक्षा उसने कोई भी फैसला लेने का मामला अपनी राज्य समितियों पर छोड़ दिया। श्रमिक संघों की प्रायोजन समिति तथा राष्ट्रीय जन संगठन को सक्रिय बनाने के मामले में भी एचएमएस का रुख ठण्डा रहा है। यह गम्भीर चिंता का विषय है और हमारे लिये यह मामला एचएमएस नेतृत्व के साथ उठाए जाने की जरूरत है ताकि भूमण्डलीयकरण विरोधी संघर्ष में श्रमिक संघों की अग्रणी एवं प्रमुख भूमिका को यकीनी बनाया जा सके और उसे पुनर्स्थापित किया जा सके।

6. सार्वजनिक क्षेत्र और यूपीए सरकार

6.1 सार्वजनिक क्षेत्र को विखण्डित करने के मामले में एनडीए सरकार का रिकार्ड विनाशकारी रहा है। यदि

इस गठबंधन की सत्ता में वापसी हो जाती तो सार्वजनिक क्षेत्र देश के औद्योगिक नक्शे से गायब हो जाता।

6.2 फिर भी, हम इस बात को कदापि भूल नहीं सकते कि 1991 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही सार्वजनिक क्षेत्र की एक्टिविटी का विनिवेश करने की प्रक्रिया शुरू की थी। वर्ष 1991 के बाद जो सत्ताएं आईं उनके दौर में सार्वजनिक क्षेत्र पर हमलों की पराकाष्ठा हो गई थी। संयुक्त मोर्चा सरकार ने विनिवेश आयोग की स्थापना करके इस प्रक्रिया को जारी रखा। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इसके लिये एक अलग विनिवेश मंत्रालय का गठन किया। एनडीए सरकार की ओर से पूरी निर्ममता के साथ निजीकरण का कार्यक्रम चलाया गया; उसने उद्योग के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के ब्लू चिप इकाईयों को बेच डालने के लिये आक्रमक अभियान चलाया। तेल, ऊर्जा तथा टेलीकाम क्षेत्रों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ पर चलने वाले दस सबसे बड़े उपक्रम भी निजीकरण की मार से बच नहीं सके। स्मरण रहे, वाजपेयी सरकार ने ओएनजीसी ता आइओसी का निजीकरण करने के अपने फैसले की घोषणा की थी।

6.3 यूपीए सरकार के सांझा न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी) में संकेत दिया गया है कि ''सामान्यतया'' लाभ पर चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। किन्तु सीएमपी में सार्वजनिक क्षेत्र से सम्बन्धित धारा में ऐसी सम्भावनाएं विद्यमान हैं कि उसकी नकारात्मक दिशाओं में व्याख्याएं की जा सकें। निजीकरण के विनाशकारी पथ पर ले जाने के लिये उसमें अनेक 'खिड़कियां' और 'झरोखे' हैं। संक्षेप में, हम यही कहेंगे कि निजीकरण के प्रचारकों के पास इसके लिये तर्कों की कोई कमी नहीं है और वे बड़ी सहजता के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण को न्यायोचित करार दे सकते हैं। इसलिये, हम इस मामले में ढिलाई से काम नहीं ले सकते। इसकी अपेक्षा हमें हर दम चौकस रहना होगा और उसी प्रकार सक्रिय रहना होगा जैसे हम पहले की सरकारों के समय रहते थे। भारतीय वायुपत्तण प्राधिकरण के दिल्ली तथा मुम्बई हवाई अड्डों के निजीकरण की कार्रवाई इसकी एक उदाहरण है। सीपीआइ (एम) तथा दूसरे वाम दलों की ओर से कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रस्तुत सीएमपी के मूल प्रारूप में संशोधन करने के लिये दबाव डाला गया और इसे मौजूदा स्वरूप में लाया जा सका; इस तथ्य को हमें कम करके नहीं देखना चाहिये।

6.4 सार्वजनिक क्षेत्र पर सीएमपी का कहना है : ''यूपीए सरकार मजबूत तथा प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र के लिये प्रतिबद्ध है; उसके सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति उसकी व्यावसायिक कार्य प्रणाली के द्वारा की जाएगी। इसके लिये चयनात्मक और सामरिक दृष्टिकोण से काम लिये जाने की आवश्यकता है। यूपीए सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को पूर्ण प्रबंधकीय एवं व्यावसायिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है ताकि लाभ कमाने वाली और प्रतिस्पर्धी वातावरण में काम करने वाली सफल कम्पनियों के रूप में उनका विकास किया जा सके। सामान्यतया, लाभ पर चलने वाली कम्पनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

''निजीकरण के सभी मामलों में मामला दर मामला विचार किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। यूपीए मौजूदा 'नवरत्न' कम्पनियों को सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखेगा। ये कम्पनियां पूंजी बाजार से अपने संसाधन जुटाएंगीं। जहां सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार कम्पनियों का आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार किये जाने के लिये हर सम्भव कार्रवाई की जाएगी वहीं लम्बे समय से बीमार एवं घाटे पर चल रही कम्पनियों के श्रमिकों की ओर से अपनी कानूनी बकाया राशियां एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लिये जाने के बाद, उन्हें बेच दिये जाएगा अथवा उनमें कामबंदी कर दी जाएगी। जिन कम्पनियों में पुनरुद्धार की क्षमताएं होंगे उनका कायाकल्प करने के लिये निजी उद्योग को आगे लाया जाएगा।

''यूपीए सरकार का मानना है कि निजीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़नी चाहिये कम होनी नहीं चाहिये। वह इजारेदार घरानों जो प्रतिस्पर्धा को सीमित रखेंगे के उदय का समर्थन नहीं करेगा। उसका यह भी विश्वास है कि निजीकरण तथा सामाजिक आवश्यकताओं में सीधा सम्बन्ध होना चाहिये – उदाहरण के लिये निजीकरण के राजस्व का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिये किया जाना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपने लिये संसाधन जुटाने के लिये पूंजी बाजार में प्रवेश करने तथा खुदरा निवेशकों के लिये नये निवेशों के अवसरों की पेशकश किये जाने के लिये उत्साहित किया जाएगा।''

6.5 वर्ष 1991 में नयी आर्थिक नीति के मुख्य निर्माता तत्कालीन वित्त मंत्री तथा वर्तमान में प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह की ओर से दिये गए सार्वजनिक क्षेत्र पर नयी आर्थिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य का उल्लेख किया जाना रुचिकर होगा। इसी वक्तव्य के द्वारा उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीयकरण अर्थात् एलपीजी को हरी झण्डी दिखाई गई थी।

6.6 ''सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों को मजबूत बनाएगी जो कार्य सम्पादन अथवा अपरेशन के आरक्षित क्षेत्रों में आते है अथवा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्थापित हैं अथवा अच्छा और काफी लाभ कमाते हैं...सामरिक, हाई टैक तथा अनिवार्य आंतरिक संरचना वाले सार्वजनिक क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। संसाधन जुटाने तथा व्यापक सार्वजनिक भागीदारी को उत्साहित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार के शेयरों के एक भाग की पेशकश म्युचुअल फण्ड, वित्तीय संस्थानों, जन साधारण तथा श्रमिकों को की जाएगी।''

6.7 सार्वजनिक क्षेत्र के शत्रुओं ने सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। वास्तव में, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के शासन काल के दौर में संसद में सार्वजनिक क्षेत्र पर जितनी बार बहस हुई, उसमें भाग लेते समय मंत्रियों तथा सरकार के प्रवक्ताओं ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के कार्य प्रदर्शन को लेकर दुर्भावना से प्रेरित प्रचार किया; उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिशें की थीं और थोक के भाव निजीकरण को न्यायोचित करार दिया था।

6.8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भंग करने, उनकी छवि खराब करने के लिये उनके खिलाफ निंदा अभियान चलाया जा रहा है; इसके खिलाफ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते समय हमें सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के शानदार कार्य प्रदर्शन को जनता के सामने लाना होगा। जो लोग यह शोर मचा रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र मौजूदा राजनीतिक एवं आर्थिक संदर्भो में अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, उन्हें मुंह तोड़ उत्तर देना चाहिये। उत्तर देते समय हमें उसके शानदार कार्य प्रदर्शन तथा उनकी ओर से दिये जा रहे सामाजिक एवं आर्थिक योगदान के आंकडों का उल्लेख करना चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां पूरी तरह देश के 'राजस्व का अर्जन करने वाली परिसम्पत्तियां' हैं; इनका निर्माण सार्वजनिक धन से किया गया और हमारे कुशल कारीगरों एवं श्रम शक्ति के हाथों हुआ है।

6.9 वर्ष 2002–03 में विभिन्न मापदण्डों की सहायता से सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ पर चलने वाली इकाईयों के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया था; उससे पता चलता है कि इन इकाईयों ने सराहनीय सफलताएं प्राप्त की है। करों का भुगतान करने से पूर्व उनका लाभ, उनकी आय, निवेशों पर वापसी, एक्विटी शेयर पूंजी पर वापसी, विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा राष्ट्रीय राज कोष में उनका योगदान। वर्ष 2002–03 में उनकी ओर से कमाया गया शुद्ध लाभ 31,141 करोड़ रुपये था जबकि इससे पहले वर्ष 2001–02 में उसकी शुद्ध आय

25,978 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार उसके शुद्ध लाभ में 23.72 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ब्याजों तथा करों का भुगतान किये जाने से पहले उनका लाभ वर्ष 2002–03 में 1,00,918 करोड़ रुपये रहा; इसके विपरीत पिछले वर्ष अर्थात् 2001–02 में यह 89,550 करोड़ रुपये था। इस प्रकार एक वर्ष में उसके लाभ में 19.69 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। करों का भुगतान किये जाने से पहले लाभ अर्थात् पीबीटी वर्ष 2001–02 के 38,233 करोड़ रुपये से बढ़ कर वर्ष 2002–03 में 45,571 करोड़ रुपये तक पहुंच गया; उसमें 29.65 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई। वास्तव में, सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों ने समग्र रूप में निवेशों पर वापसी (लगाई गई पूंजी पर कर तथा ब्याज का भुगतान किये जाने से पूर्व लाभ) वर्ष 2002–03 में 17. 45 प्रतिशत रही। इन इकाईयों के संचालन के इस प्रकार के परिणाम उनकी वार्षिक आय 5,44,390 करोड़ रुपये से प्राप्त की गई है; पिछले वित्तीय वर्ष में उनकी आय 4,78,732 करोड़ रुपये रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों ने देश के लिये विदेशी मुद्रा अर्जित करने के मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वर्ष के दौरान उन्होंने अपने उत्पादों. का निर्यात करके तथा विभिन्न सेवाएं प्रदान करके 29,980 करोड़ रुपये की राशि अर्जित की थी। उनकी शुद्ध आय में 8.42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह शुद्ध आय वर्ष 2001–02 में 2,32,196 करोड़ रुपये थी और वर्ष 2002–03 में बढ़ कर 2,51,750 करोड़ रुपये हो गई।

6.10 सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों ने केन्द्रीय सरकार के संसाधनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.. .वर्ष 2002–03 के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों की ओर से घोषित लाभांशों की राशि 13,735 करोड़ रुपये थी। आबकारी शुल्क, सीमा शुल्क, नैगम कर, केन्द्रीय सरकारी ऋणों पर ब्याज, लाभांश तथा अन्य शुल्कों एवं करों के रूप में राष्ट्रीय राजकोष के लिये इन उपक्रमों का योगदान 2001–02 में 62,866 करोड़ रुपये था जो 2002–03 में बढ़ कर 81,986 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार उसमें 30.32 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके विपरीत उनके 'अत्यंत प्रिय' निजी क्षेत्र की ओर से नैगम कर, आय कर, सीमा शुल्क के खाते में कोई भुगतान नहीं किया गया और उसकी ओर 87,000 करोड़ रुपये की राशि बकाया पड़ी है। (सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2002–03)।

6.11 पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कर दाता शीर्ष 10 नैगम घरानों में से 8 सार्वजनिक क्षेत्र के थे। इस मामले में भारतीय स्टेट बैंक पहले स्थान पर रहा है; उसने 1234 करोड़ रुपये के करों का भुगतान किया है और पिछले वर्ष के मुकाबले उसके भुगतान में 18.54 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उसके बाद सबसे अधिक भुगतान (दूसरे शब्दों में योगदान) भारतीय तेल निगम का रहा; उसने 1133 करोड़ रुपये का भुगतान किया जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 55.6 प्रतिशत अधिक था। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 909 करोड़ रुपये का भुगतान करके 5.61 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज कराई। सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी प्रमुख कर दाता कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन 623 करोड़ रुपये (62 प्रतिशत), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन 479 करोड़ रुपये (91 प्रतिशत), बैंक आफ बड़ोदा 423 करोड़ रुपये (120 प्रतिशत), नाबार्ड 325 करोड़ रुपये। टिस्को तथा हिन्दुस्तान लीवर ही निजी क्षेत्र की दो कम्पनियां हैं जिनके नाम सबसे अधिक करों का भुगतान करने वाले दस कर दाताओं की सूची में दर्ज है। (इकनामिक टाइम्स, 02–03–2004)।

6.12 निजी क्षेत्र की वकालत करने वाले महानुभावों की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम करने के लिये लगातार अभियान चलाया जा रहा है; वे दुर्भावना से प्रेरित सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी राग पूरे लय में आकर गा रहे हैं। इसका सामना करने के लिये उनकी घृणित खेल को बेनकाब करना होगा। ये महानुभाव सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों को अक्षम करार दे रहे हैं; इसके लिये वे झूठे आंकड़ों एवं तथ्यों का सहारा लेते हैं और उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं। यदि किसी भी हलके द्वारा सार्वजनिक इकाईयों का निजीकरण किये

जाने की राष्ट्र विरोधी कार्रवाई की जाती है तो हमें उसे नाकाम बनाने के लिये देश व्यापी संयुक्त संघर्षों को आगे बढ़ाना होगा। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जब तक सत्ता में रही, उसने पूरी शक्ति के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के घोर विरोध की अपनी नीति का पालन किया था। देश में सम्पन्न हाल ही के लोक सभा चुनावों में वाजपेयी सरकार की इन नीतियों को जनता ने पूरी तरह ठुकरा दिया है। इसलिये यदि निजीकरण की नीति की दिशा में आगे बढ़ने के लिये कोई भी प्रयास किया जाता है तो उसे जनादेश के साथ गद्दारी कहा जाएगा।

6.13 दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा करने के लिये चलाए जा रहे संघर्ष जनादेश के अनुकूल होने चाहियें क्योंकि इसी के फलस्वरूप यूपीए सरकार केन्द्र में सत्ता में आई है। किन्तु इस वस्तुपरक समझ से आगे बढ़ते हुए और सामाजिक तथा आर्थिक मामलों में सार्वजनिक उपक्रमों के योगदान लगातार बने रहे हैं; उपरोक्त आंकड़ों से यह बात सिद्ध हो जाती है। इसे लगातार बनाए रखना और सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों को मजबूत बनाना हमारी आर्थिक आवश्यकता है परोपकारिता नहीं।

6.14 सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय श्रमिक संघों पर आधारित समिति (सीपीएसटीयू) सभी प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा करने के मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। वास्तव में, सीपीएसटीयू सबसे अधिक लम्बे समय से अस्तित्व में है और श्रमिक संघों का संयुक्त मंच बनी रही है, इसलिये उसने श्रमिक आंदोलन में अपने लिये एक विशेष स्थान बना लिया है। उसने सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के श्रमिकों को निर्विवाद नेतश्त्व प्रदान किया है। हमें सीपीएसटीयू को एक बार फिर से सक्रिय बनाने के लिये प्रभावी कदम उठाने होंगे। इसी प्रकार सीपीएसयू श्रमिक संघों में हमारी अपनी समन्वय समिति को भी नियमित रूप से बैठकें करनी चाहियें और सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के बीच अपनी गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिये एक योजना तैयार करनी चाहिये।

7. बेरोजगारी का अत्यंत आवश्यक प्रश्न

7.1 विश्व व्यापी स्तर पर बेरोजगारी में चौंका देने वाली सीमा तक वृद्धि हो रही है; इस समस्या की जड़ें संकटग्रस्त पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था में निहित हैं। जहां 'रोजगारहीन विकास' के इस युग में नये रोजगारों का सश्जन नहीं हो रहा वहीं लागत में कमी लाने तथा 'बाजार अर्थ व्यवस्था' के पैशाचिक स्वरूप के अन्तर्गत पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था की स्थायी जीवन क्षमता के लिये व्यापारिक गतिविधियों का पुनर्गठन करने के नाम पर मौजूदा श्रमिकों को भी रोजगार से निकाल बाहर किया जा रहा है। गहराती चली जा रही बेरोजगारी की समस्या पूंजी की ओर से पूंजी के लिये मित्रवत राजनीतिक सत्ताओं के साथ सहयोग करके पूंजीवादी संकट का बोझ श्रमिकों के कंधों पर डाले जाने के फलस्वरूप पैदा हुई है।

7.2 जिनेवा में हाल ही में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के सत्र में प्रस्तुत आइएलओ के महानिदेशक की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि "महिलाओं तथा पुरुषों के लिये गरिमापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा किये जाने का समर्थन करना आइएलओ के लक्ष्यों का मूलभूत तत्व है। एक अरब से अधिक लोग अर्ध अथवा पूर्ण बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं....रोजगार पैदा करना अब गरीबी कम किये जाने के साधन के रूप में मान्यता प्रदान किये जाने की शुरूआत है।" दरिद्रता, भूख तथा भूख के कारण लोगों की तड़प तड़प कर होने वाली मौतों के साथ संघर्ष करने के लिये केवल खुराक ही काफी नहीं है। यह एक बार–बार दोहराया जाने वाला और जिस पर प्रश्न चिन्ह लगाया नहीं जा सकता, एक तथ्य है कि हमारे देश में भूख के कारण

आत्महत्याएं किये जाने की घटनाएं केवल इस लिये नहीं होतीं क्योंकि अनाज की उपलब्धता का अभाव होता है अपितु लोगों में क्रय शक्ति का अभाव होता है। यह देखा गया है कि "अनाज के भण्डार लबालब भरे होने पर भी इस पृथ्वी के किसी भी देश की अपेक्षा भारत में भूखे लोगों की संख्या अधिक है; संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार यह संख्या 21.40 करोड़ अथवा जनसंख्या का पांचवां भाग है।....विकास का पुराना मंत्र – अनाज का अधिक उत्पादन करो, अधिक लोगों को खाना दो – यह एक नये आह्वान का मार्ग प्रशस्त कर रहा है: अधिक रोजगारों का सृजन करो, खाना खरीद पाने योग्य आय सुलभ कराओ।"

7.3 भारत में बेरोजगारी के कारण पैदा हुई स्थिति लगातार बद से बदतर होती चली जा रही है; यह इस तथ्य के कारण है कि जहां एक ओर लाखों कर्मचारियों का रोजगार छीन कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है वहीं दूसरी ओर करोड़ों बेरोजगार अपने लिये रोजगार ढूंढ पाने में सक्षम नहीं हैं। यहीं पर बस नहीं, सेवायोजकों की श्रेणी गहरी साजिश करने में लगी हुई है और वह बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों को श्रमिक आंदोलन के खिलाफ भड़का रही है; वह श्रमिक आंदोलन के खिलाफ जहरीला प्रचार अभियान चला रही है; क्योंकि श्रमिक संघ मालिकों को हायर एण्ड फायर का अधिकार दिये जाने के खिलाफ है और इसका विरोध करके वे नये रोजगार के सृजन को रोक रहे हैं और रोजगारों के मामले में आए ठहराव के लिये श्रमिक संघ ही जिम्मेदार है। इस संदर्भ में भी श्रमिक आंदोलन को बेरोजगारी के प्रश्न पर अपनी नीतियों की प्राथमिकताओं को निश्चित करना होगा।

7.4 इसके विश्व व्यापी आयामों की ओर हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा और इस समस्या के गहरे दुष्परिणामों को इस तथ्य की सहायता से समझना होगा कि इस समस्या की ओर आइएलओ सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों का ध्यान गया है और वे इस पर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। यह चिंता प्रमुख रूप से शायद इसलिये है क्योंकि इस समस्या का समाधान होने की बजाए इसके चलते अशांति अधिक पैदा हो रही है अर्थात् बेरोजगारी की समस्या में अशांति पैदा करने की क्षमता अधिक है। यही नहीं, विश्व भर में चलने वाले चुनावों के समय जारी चुनाव घोषणा पत्रों तथा चुनाव अभियानों के समय बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है। इस प्रकार अमरीका के राष्ट्रपति पद के चुनावों में रोजगारविहीन विकास का मुद्दा बुनियादी मुद्दा बन चुका है। हमारे देश में भी हाल ही में सम्पन्न संसदीय चुनावों के दौरान वामपक्षी दलों के अलावा यूपीए के मौजूदा घटकों की ओर से भी चुनावों में अपने प्रचार अभियान के समय "बेरोजगारी को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया गया था और उनकी ओर से इसे अपने चुनाव घोषणापत्रों में जगह दी गई थी। उन्होंने इस बारे में कुछ करने का वादा किया था विशेष तौर पर गांवों में नये रोजगारों का सृजन करने के मामले में। मतदाताओं को प्रभावित करने वाला शायद यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा था।" (फ्रंटलाइन, 04 जुलाई)। वाल स्ट्रीट जनरल युरोप ने अपने 25 जून, 2004 के अंक में इस जनादेश पर टिप्पणी करते समय रेखांकित किया था, "भारत के सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में आए जबरदस्त उभार का निरीक्षण किया था किन्तु मई के चुनावों में उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा वह भी अधिकतर ग्रामीण मतदाताओं के कारण जो इस दौड़ में खुद को पिछड़ चुके अनुभव कर रहे थे। भाजपा के "भारत उदय" अभियान जिसमें देश की आर्थिक प्रगति की विशेषताओं का बखान किया जा रहा था को विजयी कांग्रेस पार्टी की ओर से रौंद डाला गया। उसकी ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों का सृजन करने तथा किसानों की सहायता करने के नाम पर अपना प्रचार अभियान चलाया गया था।"

7.5 यद्यपि यह किसी भी देश के लिये स्वास्थ्यवर्धक घटना नहीं है तथापि यह एक तथ्य है कि हमारे देश में 60 प्रतिशत रोजगार कृषि के क्षेत्र से आता है। वर्ष 2002–2003 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार

''1994–2000 के बीच रोजगार की समग्र वृद्धि दर में गिरावट अधिकतर कृषि के क्षेत्र में लगभग ठहराव की स्थिति पैदा होने के कारण आई है। इसके परिणामस्वरूप कुल रोजगार में कृषि के भाग में काफी गिरावट आई है; यह 1993–94 में 60 प्रतिशत था और 1990–2000 में कम होकर 57 प्रतिशत रह गया था।'' केवल यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार में भी ग्रामीण आंतरिक संरचना में निवेशों के भीषण अभाव और आयातों का अंधाधुंध उदारीकरण किये जाने के कारण कृषि आधारित एवं उससे सम्बद्ध उद्योगों के धाराशायी हो जाने के कारण गिरावट का रुझान देखा गया है। यह एक विचलित कर देने वाला तथ्य है कि ''लगभग 75 प्रतिशत बेरोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है और इनमें से 60 प्रतिशत बेरोजगार शिक्षित हैं।'' (इकनामिक टाइम्सः 23. 01. 03)।

7.6 सार्वजनिक क्षेत्र में जबरदस्त रोजगार क्षतियां देश में बेरोजगारी की हालत को बद से बदतर बनाने में व्यापक स्तर पर अपना योगदान दे रही हैं। संगठित क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के राज्य एवं केन्द्रीय उपक्रमों की ओर से कुल रोजगार में लगभग 69 प्रतिशत भाग का योगदान दिया जाता है।

7.7 एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2001 को सार्वजनिक क्षेत्र का रोजगार 27.75 मिलियन से अधिक था जो 31 मार्च, 2002 में कम होकर 27.33 मिलियन रह गया (पीटीआइ 16 मई, 2003)। इस प्रकार इस क्षेत्र में 4.2 लाख रोजगारों की क्षति हुई।

7.8 यह उल्लेख करना बेहतर होगा कि फाइनांशल एक्सप्रेस ने दिनांक 14 अप्रैल, 2004 के अपने अंक के सम्पादकीय में टिप्पणी की थी कि ''भारत उदय का जुनून जब समाप्त हो जाएगा तब नयी बनने वाली सरकार को एक तात्कालिक आवश्यकता के तौर पर बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना होगा। काल सेंटर्स तथा व्यापारिक प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग का जुनून होने पर भी भारत की गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति नहीं होगी।''

7.9 नये रोजगार के सृजन के प्रश्न पर यूपीए सरकार के सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में कहा गया है कि, ''यूपीए सरकार सत्ता में आने के तत्काल बाद राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम बनाएगी। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिये न्यूनतम पारश्रमिक पर प्रत्येक वर्ष परिसम्पत्तियों के निर्माण सम्बन्धी सार्वजनिक कार्यों में कम से कम सौ दिन रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देगा।'' यह कहना अभी समय से पहले की बात होगी कि यूपीए सरकार की प्रतिबद्धता को कार्यरूप दिये जाने के मामले में अधिक आशावादिता से काम लिया जाए या नहीं।

7.10 सीआइटीयू के ग्यारहवें महाधिवेशन ने बेरोजगारी के विषय पर एक कमिशन की कार्रवाई चलाई थी। महाधिवेशन में एक विस्तृत आलेख प्रस्तुत किया गया था। कमिशन में हुई बहस के समय जो सिफारिशें की गई थी उन्हें लागू करना हमारे लिये जरूरी हो जाता है क्योंकि उन्हें महाधिवेशन के पूर्ण सत्र में भी पारित किया गया था। कमिशन की रिपोर्ट पर बहस का परिणाम यह निकला था कि ''सीआइटीयू की ओर से औद्योगिक महासंधों के साथ सहयोग करके 1990 में दुर्गापुर में 'काम के अधिकार' पर एक सम्मेलन का आयोजन करने के लिये पहलकदमी की गई थी; इसके फलस्वरूप देश में सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन में भारी उत्साह का संचार हुआ था और एक नया जोश पैदा हुआ था। किन्तु विभिन्न कारणों के चलते हम इस पहलकदमी को और आगे नहीं बढ़ा सके। फिर भी, वर्तमान में बेरोजगारी की भयानक एवं चौंका देने वाली स्थिति की मांग है कि श्रमिक संघ इस समस्या की ओर ध्यान दें और इसके लिये पहलकदमियां करें।''

7.11 सीआइटीयू सैक्रेटेरिएट की हाल ही में सम्पन्न बैठक में इस समस्या पर विचार किया गया था और जनरल कौंसिल को यह प्रस्ताव लाने के लिये सिफारिश करने का फैसला किया गया था कि वह पिछली कन्वेंशन की भांति औद्योगिक महासंघों की सहायता से दुर्गापुर में एक और कन्वेंशन का आयोजन करे; यह कन्वेंशन इस वर्ष नवम्बर अथवा दिसम्बर में किसी भी समय आयोजित की जा सकती है। हमें जनरल कौंसिल की इस बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लेना होगा।

8. कामकाजी महिलाएं

8.1 महाधिवेशन की समीक्षा में 11 वें महाधिवेशन में महिलाओं की भागीदारी के बारे में उल्लेख किया जा चुका है। कुल मिला कर महिला प्रतिनिधियों की संख्या उससे कहीं कम थी जिसकी कल्पना कटक जनरल कौंसिल के फैसले के अनुसार की गई थी। जहां अनेक राज्यों जिनमें हिन्दी भाषी राज्य भी शामिल हैं, ने अपने लिये निर्धारित कोटे के अनुसार महिलाओं को लाने के लिये प्रयास किये थे वहीं केरल, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा जैसे मजबूत राज्य निर्धारित लक्ष्य से कहीं नीचे रहे हैं। भविष्य में इस स्थिति को सुधारना होगा।

8.2 जहां सीआइटीयू के पदाधिकारियों में महिलाओं की संख्या में एक की बढ़ोतरी हुई है वहीं जनरल कौंसिल तथा कार्य समिति के लिये निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कम हुई है। क्योंकि जनरल कौंसिल तथा कार्य समिति के कुल सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया है और कुछ राज्यों के सदस्यों की संख्या भी कम हुई है और सामान्यता महिलाएं इस स्थिति का शिकार हुई हैं। केरल से जनरल कौंसिल में महिलाओं की संख्या में तीखी गिरावट आई है। जहां महिलाओं ने हाल ही में सीआइटीयू के सभी कार्यक्रमों में भारी संख्या में भाग लिया है वहीं महिलाओं को निर्णायक निकायों में उनका उचित स्थान एवं प्रतिनिधित्व न मिलना अक्षम्य है। इसके लिये कोई बहाना नहीं चलेगा। भविष्य में महिलाओं को जनरल कौंसिल तथा कार्य समिति में उचित प्रतिनिधित्व मिले यह बात राज्य समितियों को यकीनी बनानी होगी।

8.3 बीमा, बैंक, राज्य एवं केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, बगीचा इत्यादि संगठित क्षेत्र और आंगनवाड़ी, बीड़ी उद्योग, परम्परागत उद्योग इत्यादि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं ने भारी संख्या में 24 फरवरी की हड़ताल में भाग लिया था। कुछ राज्यों में समन्वय समितियों ने सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोल मेज बैठकों, दोपहर के खाने के समय सभाएं आयाजित करके तथा लीफ लैट इत्यादि प्रकाशित करा कर महिलाओं से हड़ताल में भाग लेने की अपील की थी।

8.4 सीआइटीयू के दसवें महाधिवेशन की ओर से किये गए आह्वान के बाद से सीआइटीयू के साथ सम्बद्ध यूनियनों की ओर से प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके लिये न केवल कामकाजी महिलाओं अपितु सभी श्रमिकों की लामबंदी की जाती है। इस वर्ष सीआइटीयू केन्द्र की ओर से सम्बद्ध यूनियनों तथा राज्य समितियों को एक परिपत्र भेज कर अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिये पहलकदमियां करने का आह्वान किया गया था और कहा गया था कि इसके लिये कामकाजी महिलाओं तथा पुरुष श्रमिकों दोनों को लामबंद किया जाए। सीआइटीयू केन्द्र में पहली बार सभा का आयोजन किया गया जिसे सीआइटीयू के अध्यक्ष तथा महासचिव की ओर से सम्बोधित किया गया। प्राप्त समाचारों के अनुसार अनेक श्रमिक संघों ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभाओं का आयोजन करने के लिये पहलकदमियां की गई।

8.5 इस वर्ष के विमल रणदिवे स्मारक व्याख्यान का विषय 'साम्प्रदायिक एवं कठमुल्लावादी शक्तियों के हमले' रखने का फैसला किया गया था। प्रोः एजाज अहमद ने सीआइटीयू केन्द्र में आयोजित सभा में इस विषय पर व्याख्यान दिया था। राज्यों में इस प्रकार के कार्यक्रम किये जाने से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिली है। इस व्याख्यान की प्रतियां राज्यों को भेजी नहीं जा सकीं इसलिये वे चुनावों के समय भाजपा सरकार के खिलाफ प्रचार अभियान में उसका उपयोग नहीं कर पाए। हम भरसक प्रयास करके भी उसकी प्रतियां प्राप्त नहीं कर पाए थे।

8.6 सीआइटीयू की ओर से कामकाजी महिलाओं की प्रमुख समस्याओं पर एक व्यापक अभियान चलाने का फैसला किया गया था; इस फैसले को लागू नहीं किया जा सका। कामरेड बी टी रणदिवे जिन्होंने कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के महत्व पर बल दिया था, ने कामकाजी महिलाओं की मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिये राजधानी में कामकाजी महिलाओं को भारी संख्या में लामबंद करने का आह्वान किया था। यह काम अभी तक नहीं किया जा सका। कम से कम इस वर्ष तो जब हम उनकी जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं, हमें यह काम कर ही लेना चाहिये। कामकाजी महिलाओं की चार प्रमुख समस्याओं – समान वेतन, प्रसूति लाभ, यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून तथा गृह आधारित काम धंधों में लगी महिलाओं के लिये एक व्यापक कानून इत्यादि पर एक व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिये। यह अभियान कामकाजी स्थलों, जिला एवं राज्य स्तर पर शुरू किया जाना चाहिये जिसकी चरम परिणति अक्टूबर – नवम्बर 2004 महीने में दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के एक विशाल सम्मेलन के रूप में हो। सीआइटीयू की सभी राज्य समितियों को पूरी गम्भीरता के साथ यह अभियान चलाना होगा और उनके राज्यों के प्रतिनिधि भारी संख्या में उस सम्मेलन में भाग लें, इसे सुनिश्चित बनाना होगा।

8.7 कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक चेन्नै महाधिवेशन के पश्चात् दो बार हो चुकी है; एक बैठक जनरल कौंसिल की पिछली बैठक से एक दिन पहले हुई थी। यद्यपि बैठक की उपस्थिति में कुछ सीमा तक सुधार हुआ था, फिर भी इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। कुछ राज्य समितियों जिन्होंने महाधिवेशन के दौरान महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के मामले में दिलचस्पी ली थी, उन्होंने इस प्रकार की दिलचस्पी इस बात को यकीनी बनाने के मामले में नहीं ली कि उनके राज्यों की महिला प्रतिनिधि नियमित रूप से बैठकों में भाग लें। कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीटू) के राज्यों से सम्बन्धित सदस्य नियमित रूप से उसकी बैठकों में भाग लें, इसे सुनिश्चित बनाना सीआइटीयू की राज्य समितियों का दायित्व है। यह भी आवश्यक है कि सीआइटीयू की राज्य समितियां समन्वय समिति की बैठकों में लिये गए फैसलों पर विचार विमर्श करें और उन फैसलों को लागू करने के लिये जरूरी कदम उठाएं।

9. असंगठित क्षेत्र के श्रमिक

9.1 हमारे देश में लगभग 93 प्रतिशत श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भूमण्डलीयकरण तथा उदारीकरण की नीतियों के विषम दुष्प्रभावों को झेलना पड़ रहा है। उन्हें रोजगार की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। उनके लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन अत्यंत अल्प होते हैं और ये न्यूनतम वेतन भी प्रायः उन्हें दिये नहीं जाते। उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लाभ भी प्राप्त नहीं होते। अनेक श्रमिकों को प्रशासन तथा पुलिस की ओर से प्रताड़ित एवं परेशान किया जाता है। यद्यपि न्यूनतम वेतन अधिनियम, प्रसूति लाभ अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, बीड़ी एवं सिगार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, भवन तथा दूसरे

निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों सम्बन्धी अधिनियम, श्रमिकों के लिये क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अधिनियम और संविदा श्रम (उन्मूलन एवं नियमन) अधिनियम जैसे अनेक कानून हैं; ये कानून पूरे तौर पर अथवा आंशिक रूप में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये लागू होने चाहियें किन्तु इनमें से किसी एक को भी उपयुक्त ढंग से लागू नहीं किया जाता। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश श्रमिक जैसे गृह आधारित उद्योग धंधों में लगे श्रमिक, दिहाड़ीदार श्रमिक, घरेलू नौकर तथा विक्रेता इत्यादि को किसी भी संरक्षणात्मक कानून के अन्तर्गत नहीं लाया गया।

9.2 द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिये छाता कानून बनाने का सुझाव देना था। किन्तु आयोग द्वारा प्रस्तावित विधेयक ने खुद को केवल इन्हीं प्रश्नों तक सीमित रखा जैसे केन्द्र से लेकर पंचायत स्तर पर निकायों का ढांचा खड़ा करना, असंगठित क्षेत्र कै श्रमिकों का पंजीकरण तथा उन्हें पहचान पत्र जारी करना इत्यादि। उनके रोजगार की सुरक्षा, न्यूनतम वेतनों को लागू करने, सामाजिक सुरक्षा के लिये उसके पास कोई सुझाव नहीं है और न ही सामाजिक सुरक्षा के लिये योगदान देने की जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर डाली गई है। एनडीए सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिये ऐसा कोई भी कानून बनाने या लागू किये जाने के मामले में गम्भीर नहीं थी। श्रमिक संघों ने सर्वसम्मति के साथ सुझाव दिया था कि इस सम्बन्ध में एक विधेयक लाया जाए; इसके लिये प्रारम्भिक कोष जुटाया जाए; उसमें राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों का योगदान क्या होगा, इसे स्पष्ट रूप से परिभांषित किया जाए; उसके प्रशासन का सारा खर्च सरकार वहन करे; कल्याणकारी एवं पेन्शन के न्यूनतम बुनियादी लाभों को परिभाषित किया जाए; जहां कहीं सेवायोजक की पहचान नहीं हो पाती वहां सरकार उसके अंशदान का भुगतान भी करे; निकायों में श्रमिकों, सेवायोजकों तथा सरकार को समान प्रतिनिधित्व दिया जाए इत्यादि। किन्तु यह विधेयक लाने और उसमें इन सुझावों को जोड़ने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया। इसकी बजाए लोक सभा चुनावों से ठीक पहले भारत सरकार की ओर से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिये एक पायलट योजना की घोषणा की गई; यह घोषणा उन्हें धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं थी। श्रमिक वर्ग ने निर्णायक तौर पर इस चालबाजी को ठुकरा दिया और चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया।

9.3 अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की बहुत ही मामूली संख्या श्रमिक संघों के अन्तर्गत संगठित है। सीआइटीयू वर्ष 1991 के बाद से ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित किये जाने की जरूरत पर जोर देता रहा है। पानीहाटी कन्वेंशन के बाद सीआइटीयू की जनरल कौंसिल तथा कार्य समिति की बैठकों में इस प्रश्न पर विचार किया जाता रहा है; सीआइटीयू महाधिवेशनों में एक विशेष कमिशन का गठन करके इस प्रश्न पर विचार किया जाता है। हमारी ओर से निरंतर प्रयास किये जाने के फलस्वरूप ही वर्तमान में सीआइटीयू की सदस्य संख्या का एक बहुत बड़ा भाग असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ सम्बन्ध रखता है; यह एक तथ्य है। कुछ राज्यों में हमारी सदस्य संख्या का प्रमुख भाग असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का है। हाल ही के वर्षो में सीआइटीयू की गतिविधियों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की भागीदारी कई गुणा बढ़ी है। वे विभिन्न कार्यक्रमों में हमारी लामबंदी का एक बड़ा भाग होते है। कुछ राज्य समितियां भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं का उठा रही हैं और उन्हें स्थानीय एवं राज्य व्यापी गतिविधियों के लिये संगठित करती हैं। किन्तु इन गतिविधियों की रिपोर्ट केन्द्र को कभी कभार भेजी जाती है; इसके फलस्वरूप असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच हमारी गतिविधियों के बारे में केन्द्र की समझ ठोस एवं व्यापक बन नहीं पा रही।

9.4 हमारी सभी राज्य समितियां इस मुद्दे की ओर आवश्यक ध्यान दे रही हैं; कुल मिला कर हम अब भी

यह कहने की स्थिति में नहीं आए हैं। भूमण्डलीयकरण के इस युग में असंगठित क्षेत्र का फैलाव विशाल स्तर पर हो चुका है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां तथा देश के बड़े–बड़े निगम भी अपने काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराते है; उनके काम बहुधा गृह आधारित उद्योग धंधों में लगे श्रमिकों की ओर से किये जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े विभिन्न प्रकार के नये काम अथवा गतिविधियां अनौपचारिक क्षेत्र में होती है। राज्य समितियों को चाहिये कि वे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थितियों का अध्ययन करें और उन्हें संगठित करने के लिये अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करें। हमें अब भी गृह आधारित उद्योग धंधों में लगे श्रमिकों विशेष रूप से उन श्रमिकों जो मैन्युफैक्चरिंग की गतिविधियों से जुड़े हैं, मछली पालन तथा घरेलू नौकरों जैसी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की विशाल श्रेणियों की ओर समुचित ध्यान देना होगा।

9.5 सीआइटीयू केन्द्र की ओर से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच हमारे काम के बारे में विचार किया गया था और इसके लिये एक छोटी उप समिति का गठन किया गया था; यह उप समिति पी के गांगुली, डब्ल्यू आर वरद राजन तथा रणजीत बसु पर आधारित है और इस समिति से 'असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समन्वय समिति' से सम्बन्धित हमारे कामों पर विचार करने और उसके लिये एक नोट तैयार करने के लिये कहा गया था। असंगठित क्षेत्र समन्वय समिति को पुनर्गठित किये जाने और उसे सक्रिय करने का फैसला किया गया था। सभी राज्यों को पत्र भेज कर उनसे अपने–अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत किये जाने के लिये कहा गया था। उन राज्य समितियों जिनके प्रतिनिधियों की संख्या एक से अधिक है, से कहा गया था कि वे कम से कम एक महिला को समिति का सदस्य बनाने के लिये मनोनीत अवश्य करें। दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक सभी राज्यों से प्रतिनिधियों के नाम अखिल भारतीय केन्द्र को भेजे नहीं गए है। हम असंगठित क्षेत्र की ओर कितना ध्यान देते हैं, यह इसी तथ्य से प्रतिबिम्बित हो जात है। उप समिति को यथाशीघ्र अपना नोट तैयार करना है ताकि इस पर समन्वय समिति तथा जनरल कौंसिल की बैठक में चर्चा की जा सके। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिये यह काम करना बहुत जरूरी है।

10. हमारी गतिविधियों की संक्षिप्त समीक्षा

10.1 पिछले महाधिवेशन के बाद देश भर में गतिविधियों एवं आंदोलनों की भरमार रही जिसकी चरम परिणति इस वर्ष 24 फरवरी की ऐतिहासिक हड़ताल के रूप में हुई है; इस हड़ताल की चर्चा हम इसी रिपोर्ट में अन्यत्र कर चुके है।

10.2 24 फरवरी की हड़ताल से पहले तेल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख घटना घट चुकी थी। पूरे तेल क्षेत्र के उद्योगों की ओर से 16 दिसम्बर को निजीकरण के खिलाफ पूर्ण हड़ताल की गई। यह हड़ताल इसलिये महत्वपूर्ण रही क्योंकि उसका नेतृत्व तेल उद्योगों के निजीकरण के खिलाफ गठित राष्ट्रीय संयुक्त मंच की ओर से किया गया था; इस मंच में सीआइटीयू, एटक तथा इंटक के अतिरिक्त शिव सेना से सम्बद्ध यूनियन तथा अनेक स्वतंत्र श्रमिक संघ शामिल हैं। सभी प्रकार के विरोधों तथा दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से टालमटोल की नीति अपनाए जाने पर भी हमारी पहलकदमी के फलस्वरूप इस प्रकार की अभूतपूर्व एकता का निर्माण किया जा सका। दूसरे, उच्चतम न्यायालय की ओर से 6 अगस्त को हड़ताल के अधिकार के खिलाफ दिये गए फैसले के बाद यह हड़ताल की पहली राष्ट्र व्यापी कार्रवाई थी।

10.3 तेल क्षेत्र की हड़ताल गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न प्रकार का आंदोलन था और निजीकरण के खिलाफ जनमत तैयार किये जाने के मामले में इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों के निजीकरण

के खिलाफ हमारी ओर से लगातार संघर्ष चलाए जाने के कारण यह एक प्रमुख राजनीतिक एवं विचारधारात्मक मुद्दा बन चुका है; इसके साथ ही हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष भी चलाया जिसके चलते एनडीए शासन के खिलाफ जन मत तैयार करने में सहायता मिली थी।

10.4 पूरे जूट उद्योग में ग्यारह दिनों तक हड़ताल की गई; यह हड़ताल पश्चिम बंगाल में 59 जूट मिलों में 29 दिसम्बर, 2003 से लेकर 8 जनवरी, 2004 तक चली थी। यह जूट श्रमिकों का ऐतिहासिक संघर्ष था। इस उद्योग में सक्रिय 15 श्रमिक संघ एकजुट हुए; उनकी ओर से हड़ताल का नेतृत्व किया गया और यह हड़ताल पूर्ण रूप से सफल रही। जूट मिलों के मालिकों को 8 जून को यूनियनों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर होना पड़ा। ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम को लागू किये जाने के साथ–साथ दीर्घावधि से लम्बित अनेक प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया गया।

10.5 एक बार फिर जूट उत्पादकों तथा साधारण किसानों की विशाल संख्या जूट श्रमिकों के पक्ष में लामबंद हुई। सीआइटीयू की ओर से जूट श्रमिकों के आंदोलनों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई गई; संघर्षों के माध्यम से यह और मजबूत हुई है और इसके साथ ही जूट पैकेजिंग एक्ट, 1987 को बचाने के मुद्दे के चलते यह हड़ताल एक नये सामाजिक आंदोलन के रूप में विकसित हुई है जो अगले आम चुनावों में प्रतिबिम्बित हुई।

10.6 ओएनजीसी को हम बड़ी सहजता के साथ 'परिवार का रत्न' कह सकते है। एनडीए सरकार की ओर से तेल उद्योगों के निजीकरण को आगे बढ़ाने के लिये अनेक फैसले किये गए थे। तेल के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रास्ते की सभी टेढ़ी मेढ़ी रुकावटों को समाप्त कर दिया गया और एफआइपीबी की अवहेलना करके विदेशी निवेश के लिये सीधा रास्ता बनाया गया। इस वर्ष जनवरी में सरकार ने ओएनजीसी तथा जीएआइएल के 10 प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्र को बेच देने का फैसला किया था। सीआइटीयू, एटक, इंटक तथा बीएमएस सहित सभी श्रमिक संघों ने संयुक्त रूप से निजीकरण की इस धीमी किन्तु आगे बढ़ने वाली इस प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया और धरने दिये। इसके फलस्वरूप देश भर में इस प्रक्रिया के खिलाफ जागरूकता बढ़ी है।

10.7 हरियाणा में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की ओर से जबरदस्त संघर्ष चलाए गए। वन विभाग में दैनिक वेतन दरों पर काम करने वाले 4500 श्रमिक जिन्हें हरियाणा सरकार की ओर से स्थायी करने का वादा किया गया था, छंटनी के मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। सीआइटीयू के नेतृत्व में इन श्रमिकों ने सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ संघर्ष चलाया और और वे इस प्रश्न पर जागरूकता बढ़ाने में सफल रहे हैं।

10.8 हरियाणा के ईंट भट्ठों में काम करने वाले जुझारू श्रमिकों की ओर से जिला दर जिला अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई जो 24 फरवरी से शुरू हुई। भट्ठा मालिकों तथा प्रशासन की ओर से मजदूरों को भयभीत करने के लिये पुलिस कार्रवाई की गई, गुण्डा हमले कराए गए और नेताओं को झूठे हमलों में फंसाया गया। किन्तु इतना सब करने पर भी श्रमिकों को डराया–धमकाया नहीं जा सका और उनकी हड़ताल पूर्ण रूप से सफल रही। इसके कारण प्रशासन को दखल देना पड़ा और मालिकों को वेतनों तथा महंगाई भत्ते के प्रश्न पर श्रमिकों के साथ समझौता करने पर विवश होना पड़ा।

10.9 इसी अवधि में पानीपत, हरियाणा के टैक्सटाइल श्रमिकों ने 24 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल

शुरू की; यह हड़ताल लगभग दस दिनों तक चली। इसके कारण मिल मालिकों को वहां की सीआइटीयू यूनियन के साथ समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा। पंजाब के भट्ठा मजदूरों की ओर से भी बेहतर वेतन तथा सेवा स्थितियों के लिये जुझारू संघर्ष किया गया जिसमें हड़ताल भी शामिल है।

10.10 पूर्वी रेलवे के रेलवे श्रमिकों की ओर से रेलवे प्रिंटिंग प्रेस का निजीकरण किये जाने के विरोध में संघर्ष की कार्रवाई की गई। हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग के दैनिक वेतन दरों पर काम करने वाले मजदूरों की ओर से संघर्ष की जुझारू एवं सफल कार्रवाईयां करके हजारों मजदूरों की छंटनी किये जाने की कार्रवाई को विफल बना दिया गया। बहुसंख्य बीएमएस यूनियन के फैसले की धज्जियां उड़ा कर पीडब्ल्यूडी के इन श्रमिकों की ओर से निरंतर प्रदर्शन किये गए और धरने दिये गए जिसके चलते सरकार को उनके आगे झुकने को मजबूर होना पड़ा और आखिरकार राज्य सरकार की ओर से 29 मार्च को उनके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े।

10.11 हिमाचल प्रदेश पण विद्युत परियोजना के श्रमिकों, जम्मू के कठुआ जिले में सेवा पण विद्युत परियोजना के श्रमिकों की ओर से 14 मार्च से लगातार हड़ताल की गई। प्रबंधन तथा ठेकेदारों की ओर से मजदूरों को डराने–धमकाने के लिये हर हथकण्डा अपनाया गया, उन्हें नौकरियों से निलम्बित किया गया तथा पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। किन्तु ये सभी दमनात्मक कार्रवाईयां विफल रहीं। हड़ताल को तोड़ने के लिये इंटक के नेताओं की सेवाएं ली गई, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ग्यारह दिनों की हड़ताल के बाद मजदूर सेवा योजक मैसर्ज गामों इंडिया को नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र, चिकित्सा लाभ देने और वेतनों में संतोषजनक बढ़ोतरी करने जैसी अपनी अधिकांश मांगों को मानने तथा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये मजबूर करने में सफल हो गए। किन्तु श्रमिकों की एकता को तोड़ने के लिये षडयंत्र अब भी चल रहे हैं। जून में प्रधान ठेकेदार गोमों इंड़िया द्वारा नये सिरे से दमन चक्र चलाया गया; यूनियन के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे यातनाएं दी गई। मजदूरों की ओर से इस गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया; पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर जम कर लाठीचार्ज किया गया और इस सिलसिले में अनेक गांव वासियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मजदूरों ने बहादुरी के साथ इस दमनचक्र का सामना किया और स्थानीय तथा बाहरी श्रमिकों के नाम पर मजदूरों में फूट डालने के सेवायोजक ठेकेदार के सभी प्रयास विफल हो गए।

10.12 तमिलनाडु में सीआइटीयू के कार्यकर्ताओं ने राज्य के सभी चुनाव क्षेत्रों में काम किया था। चुनावों के बाद विभिन्न औद्योगिक महासंघों तथा श्रमिक संघों की ओर से अभियानों एवं संघर्षों को मजबूत बनाने का फैसला किया था और प्रमुख मुद्दों को लेकर संयुक्त कार्रवाईयां करने का फैसला भी लिया गया है। राज्य सीआइटीयू ने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये कार्यक्रम चलाने के साथ–साथ बीटीआर जन्म शताब्दी समारोहों के सिलसिले में विभिन्न कार्यक्रम चलाने का फैसला भी किया है। समिति ने तमिल भाषा में पुस्तिकाएं प्रकाशित करने का निश्चय भी किया है। विद्युत श्रमिकों ने पिछले तीन वर्षो से लम्बित वेतन विवादों, पिछले समझौतों तथा अदालत के फैसलों को लागू नहीं किये जाने और संविदा श्रमिकों एवं अंशकालिक श्रमिकों के लिये वेतनों के मुद्दे पर अभियान एवं संघर्ष चलाने का निर्णय लिया है।

10.13 सीआइटीयू के साथ सम्बद्ध स्टेट ट्रांसपोर्ट इम्पलाईज फैडरेशन द्वारा 16 जून को डिंडीगुल में पेन्शन लाभ देने से सरकार के इन्कार के खिलाफ, खोए हुए अधिकार तथा लाभ फिर से हासिल करने और दमन के खिलाफ एक सफल राज्य स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। श्रमिकों की मांगों को लेकर 22 से 29 जून तक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जिसका समापन विशाल प्रदर्शनों तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

दिये जाने के साथ किया गया। श्रमिकों की दूसरी विभिन्न श्रेणियों जैसे कपड़ा मिल श्रमिक, चीनी उद्योग के श्रमिक, स्थानीय निकायों में काम करने वाले श्रमिक इत्यादि ने आने वाले दिनों में संघर्ष के कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है।

10.14 आंध्र प्रदेश में ग्राम पंचायत श्रमिकों की ओर से दो जिलों में न्यूनतम वेतन लागू करने की अपनी मांग को लेकर लम्बा संघर्ष चलाया गया और वे अपनी मांग मनवाने में सफल हो गए। प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सभाओं में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा 9 मार्च को टीडीपी सरकार की ओर से उन्हें नौकरी से हटाए जाने के आदेश के खिलाफ राज्य भर में धरने दिये गए। चावल मिलों के हमालियों ने मण्डल तथा जिला कलैक्टर कार्यालयों के आगे दिये जा रहे धरनों में भाग लिया। वे अपनी कल्याण के लिये एक व्यापक कानून बनाने की मांग कर रहे थे। हैदराबाद शहर में आटो श्रमिकों की ओर से पांच दिवसीय हड़ताल की गई; वे मीटर चार्ज बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस सम्बन्ध में एक समझौता किया गया जिसमें उन्हें आंशिक सफलता प्राप्त हुई। प्रकाशम जिले के डिजाइन स्टेट के लगभग 2250 श्रमिकों की ओर से हड़ताल की गई जो लगभग तीन मास तक चली; वे न्यूनतम वेतन देने की मांग कर रहे थे। वे अपने वेतनों में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी कराने में सफल रहे।

10.15 पिछले महाधिवेशन के बाद चुनाव के लिये प्रचार अभियान के दौरान देश के विभिन्न भागों में सीआइटीयू के नेतश्त्व में अनेक संघर्ष चलाए गए और उन संघर्षों ने एनडीए के जन विरोधी शासन के खिलाफ जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

11. साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष

11.1 भाजपा के नेतश्त्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक जनतांत्रिक गठबंधन की पराजय देश की धर्म निर्पेक्ष शक्तियों तथा भारत के संविधान में समाहित धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों की विजय है। सीआइटीयू अपने जन्म के समय से ही साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष चलाती रही है; वह इस संघर्ष को और उसके साथ–साथ दूसरी विभाजक शक्तियों के खिलाफ अपने संघर्ष को उतना ही महत्वपूर्ण मानती है जितना न्यायोचित आर्थिक मांगों, ट्रेड यूनियन एवं जनवादी अधिकारों की मांग, श्रमिक विरोधी तथा जन विरोधी ताकतों के खिलाफ अपने संघर्ष को मानती है। एक साम्प्रदायिक पार्टी जो भीतर से फाशीवादी रुझान रखती है, को पराजित करने के लिये सभी सभी धर्म निरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने में सीआइटीयू का योगदान बहुत महत्व रखता है। यह कोई मामूली बात नहीं है। सीआइटीयू दूसरी सभी धर्म निरपेक्ष ताकतों के साथ मिल कर साम्प्रदायिक ताकतों की पराजय पर संतोष का अनुभव करता है। किन्तु हम इस कहावत का उल्लेख जरूर करेंगे कि साम्प्रदायिक शक्तियां धाराशायी तो हुई हैं पर खत्म नहीं हुई। इसलिये साम्प्रदायिकता के खिलाफ हमारी जंग आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना पहले थी।

11.2 सीआइटीयू साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष को आर्थिक तथा दूसरे संघर्षों से अलग करके नहीं देखता। इसलिये सीआइटीयू ने आर्थिक संघर्ष के साथ ही साम्प्रदायिकता के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखा है। जहां साम्प्रदायिक शक्तियां अनिवार्य रूप से लोकतंत्र विरोधी तथा श्रमिक विरोधी हैं वहीं साम्प्रदायिकता की अपने कुछ विशेष पहलू भी हैं। इसलिये श्रमिक संघों को संघर्षों के लिये अपनी सम्पूर्ण समर नीति तथा दांवपेचों का फैसला लेते समय इन विशेष पहलुओं की ओर ध्यान देना चाहिये; साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष करने के लिये इनकी ओर ध्यान देना जरूरी हो जाता है।

11.3 फिर भी इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि सब लोगों ने एनडीए के खिलाफ वोट देकर अनिवार्य रूप से साम्प्रदायिक विचारधारा के खिलाफ अपना मत दिया है। यह मत अधिकतकर इसलिये दिया गया क्योंकि वे पूरी शक्ति के साथ उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीयकरण की आर्थिक नीतियों को लागू कर रहे थे। किन्तु जाहरा तौर पर उनका मतदान साम्प्रदायिक शक्तियों की हार का कारण बन गया। सीआइटीयू की ओर से दूसरे श्रमिक संगठनों के साथ मिल कर आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष चलाए गए और इनके लिये श्रमिक वर्ग तथा समाज की दूसरी श्रेणियों को लामबंद किया गया; निश्चित रूप से साम्प्रदायिक शक्तियों के धाराशायी हो जाने के पीछे यह एक महत्वपूर्ण कारक है। हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष की अपनी विशेषताएं होती हैं; आर्थिक मांगों को लेकर चलाए गए संघर्षो की साम्प्रदायिकता के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

11.4 विभिन्न महाधिवेशनों और जनरल कौंसिल एवं कार्य समिति की बैठकों में प्रस्ताव पारित किये जाने के अलावा हमने पहले ही अनेक दस्तावेज प्रकाशित किये हैं और विचार गोष्ठियों का आयोजन किया है; इनमें हमारे देश में साम्प्रदायिकता की प्रकृति, लोगों विशेष तौर पर श्रमिक वर्ग को प्रभावित करने वाली साम्प्रदायिक तत्वों की विनाशकारी गतिविधियों, इस समस्या के प्रति श्रमिक वर्ग के रुख और इसके साथ निपटने के लिये उपयुक्त विधियों इत्यादि के बारे में विचार विमर्श किया जाता रहा है। प्रत्येक बार हमने बहस की है और एक दस्तावेज प्रकाशित किया है। साम्प्रदायिकता की प्रकृति और उसके प्रस्तुतिकरण के बारे में हमारी समझ गहरी हो चुकी है। यदि हमारे कार्यकर्ता उन सभी दस्तावेजों का अध्ययन करें तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा।

11.5 इनमें सबसे अंतिम दस्तावेज कटक में आयोजित जनरल कौंसिल बैठक में पारित किया गया था; इस दस्तावेज का विशेष महत्व है। कामरेड बी टी रणदिवे ने अनेक अवसरों पर सही में हमें याद दिलाया था कि श्रमिक वर्ग अपनी वर्गीय स्थिति के चलते साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष में सर्वाधिक प्रभावशाली और अग्रणी शक्ति हो सकती है। किन्तु हमने इससे पहले और इसके साथ–साथ कटक जनरल कौंसिल श्रमिक वर्ग का एक भाग – भले ही उसकी कम संख्या अधिक महत्व न रखती हो – साम्प्रदायिकता के विषाणुओं से पीड़ित हो चुका है। जब तक श्रमिक वर्ग जिसमें साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ने की शक्ति एवं सम्भावनाएं हैं; साम्प्रदायिकता के विषाणुओं से प्रभावित होती रहेगी तब तक इस महामारी के खिलाफ संघर्ष में उसकी प्रभावी भूमिका वास्तविकता में बदल नहीं सकती। इसलिये श्रमिक संघों का सबसे पहला काम और जहां तक साम्प्रदायिकता के खिलाफ उनके संघर्ष का सम्बन्ध है; श्रमिक वर्ग को साम्प्रदायिक विषाणुओं के दुष्प्रभावों से मुक्त रखने के लिये उपयुक्त कार्यक्रम चलाना है।

11.6 साम्प्रदायिक शक्तियां साम्प्रदायिकता फैलाने के लिये लगातार जहरीला प्रचार करती हैं; वे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करती है; कभी खुले तौर पर और कभी अनेक प्रकार के बहाने बना कर; वे सदा लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काती है विशेष तौर पर जनता की उस श्रेणी के खिलाफ जो उनके हमले का निशाना होती है। ये साम्प्रदायिक शक्तियां हिन्दु, मुस्लिम तथा सिख भी हैं; यह एक तथ्य है। भारत में धर्म का पहले से ही बड़ा भारी प्रभाव रहा है। जब तक एक श्रमिक लम्बे समय तक वर्ग संघर्ष में भाग नहीं लेता और उसकी धार्मिक पहचान सबसे ऊपर बनी रहती है तब तक वह पहले एक श्रमिक होने की बजाए हिन्दु, मुसलमान तथा सिख पहले है। अपनी धार्मिक पहचान के बारे में उसकी जागरूकता साम्प्रदायिक शक्तियों का काम आसान बना देती है और वे बड़ी आसानी के साथ उसके मन मस्तिष्क में साम्प्रदायिकता के बीज बो देती

हैं। किन्तु एक श्रमिक के भीतर वर्गीय भावना मजबूत होने पर भी वह खुद ब खुद साम्प्रदायिकता के प्रभाव से मुक्त नहीं हो जाता। इसलिये श्रमिक संघों का प्रमुख कार्य हर सम्भव ढंग से श्रमिकों के मन मस्तिष्क में से साम्प्रदायिक विचारों तथा भावनाओं का सफाया करना है। यह काम प्रारम्भिक तौर पर शैक्षणिक प्रकृति का होगा। वर्ग संघर्ष उसके मन को तैयार करता है और धर्म निरपेक्षता की शिक्षा ग्रहण करने लग जाता है।

11.7 साम्प्रदायिकता विरोधी संघर्ष में श्रमिक संघों को शिक्षा के सघन एवं व्यापक कार्यक्रम चलाने होंगे : उसे ट्रेड यूनियन कक्षाओं, जनप्रिय व्याख्यानों, संगोष्ठियों, सांस्कृतिक एवं दूसरे कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा और इसके अलावा भी वे जिस ढंग से साम्प्रदायिकता के खिलाफ अपना अभियान चला सकते हों उन्हें उसी ढंग से इस प्रकार के कार्यक्रम चलाने होंगे। तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किये गए प्रत्येक तथ्य के विपरीत हमें सही तथ्य जनता के सामने लाने होंगे। गलत व्याख्याओं के स्थान पर सही व्याख्याएं देनी होंगी। हमें सभी प्रकार के झूठ को बेनकाब करना होगा और श्रमिकों के भीतर धर्म निरपेक्षता के विचारों का संचार करना होगा। हम अभी तक यह दावा करने की हालत में नहीं हैं कि इस दिशा में हमने बहुत काम कर लिया है। हमें अपना समय व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिये। इस शैक्षणिक अभियान के लिये हमें यूनियनों के स्तर तक जाना होगा। जिला एवं राज्य समितियों जैसी उच्चतर समितियों को यकीनी बनाना होगा कि प्रत्येक कार्यक्रम का लक्ष्य उसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सही विचारों को लाना हो। छोटे श्रमिक संघों के मामले में जिला तथा राज्य समितियां अपने अनुभवों का आदान प्रदान कर सकती हैं और वे अनेक छोटे श्रमिक संघों को एक साथ जोड़ कर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर सकती हैं। हमारे प्रचार का केन्द्र बिंदु केवल श्रमिक ही नहीं बल्कि उनके परिवारों के सदस्य भी होने चाहिये।

11.8 साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हथियार लिखित सामग्री होती है। राजनीतिक स्तर पर अनेक पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया जा चुका है। राजनीतिक पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं या हो रहे है। हमें उस सारी सामग्री का उपयोग करना होगा। सीआइटीयू केन्द्र की ओर से भी हम एक छोटी पुस्तिका का प्रकाशन किये जाने पर विचार कर सकते है जिसमें आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई हो।

11.9 हम पहले ही कह चुके हैं; हिन्दु साम्प्रदायिक शक्तियां भले ही पिछड़ गई हों पर वे अभी मैदान से बाहर नहीं हुई है। संघ परिवार इन दिनों बौखला चुका है; वह अभी तक चुनावी पराजय के सदमें से उभर नहीं पाया। वे अपनी खोई प्रतिष्ठा को कैसे बहाल करें; इन दिनों वे इसी उधेड़बुन में फंसे हुए हैं जो स्वभाविक ही है। जड़ों की ओर वापस चलो; यह चर्चा उनके क्षेत्रों में व्यापक रूप से चल रही है। राजनीतिक सत्ता में वापस लौटने के लिये वे राजनीतिक लामबंदी करने के उद्‌देश्य से हिन्दुत्व तथा हिन्दु राष्ट्र के साम्प्रदायिक नारे लगा रहे है। सभी प्रकार के साम्प्रदायिक प्रचार के विषाणु फैलाए जा रहे हैं। यहीं पर बस नहीं, साम्प्रदायिक जागरूकता लाने के लिये सबसे प्रभावी हथियार साम्प्रदायिक दंगे होते है। जहां कहीं भी सम्भव हो सके वे साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने के लिये प्रयास करेंगे और आगे चल कर यही तनाव साम्प्रदायिक दंगों का रूप ले लेगा। इसलिये श्रमिक वर्ग का हर सम्भव तरीके एवं साधन का उपयोग करके इस चुनौती का सामना करना होगा। साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिये सीआइटीयू सैक्रेटेरिएट को एक विस्तृत कार्यक्रम बनाना होगा; इस कार्यक्रम को लागू किया जाए, इसे सुनिश्चित बनाना होगा।

12. संगठन पर

12.1 सीआइटीयू के सात मास पूर्व आयोजित ग्यारहवें महाधिवेशन में संगठन पर एक संक्षिप्त समीक्षा सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। उस दस्तावेज में स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया गया था कि : ''संगठनात्मक स्थिति हमारी चिंता का प्रमुख कारण निरंतर बनी हुई है।'' ''इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।'' समीक्षा में आगे कहा गया है ''किन्तु यह सुधार आंशिक से अधिक कदापि नहीं है और यह सुधार सभी स्थानों पर एकसमान नहीं हुआ। जो भी हो यह उदारीकरण तथा भूमण्डलीयकरण के हमलों और साम्प्रदायिक उन्माद का प्रभावशाली ढंग से सामना करने के लिये पर्याप्त नहीं है।''

12.2 जहां तक पिछले सात महीनों में सांगठनिक कार्यो को कार्यरूप दिये जाने का सम्बन्ध है, उससे स्थिति में कोई बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा; यह आशा करना ठीक नहीं होगा। इस अवधि में हमारे सामने दो महत्वपूर्ण तथा बड़े काम किये जाने का प्रश्न था – 24 फरवरी की देश व्यापी हड़ताल तथा लोक सभा के चुनाव। हमें हड़ताल की सफलता के लिये काम करना पड़ा, किन्तु इसकी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं थी, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। इस हड़ताल को सफल बनाने के दायित्व का निर्वहन सीआइटीयू को कुछ दूसरे भ्रातृ संगठनों तथा महासंघों के साथ मिल कर करना था। इस हड़ताल को अभूतपूर्व सफलता मिली; चहुं ओर इस तथ्य को स्वीकार किया जा चुका है; इसकी सफलता ने सीआइटीयू संगठन की अपार शक्ति तथा ओजस्विता को प्रमाणित कर दिया है, इसमें संदेह नहीं। उसके बाद लोक सभा के चुनाव आए; उन चुनावों में सीआइटीयू ने श्रमिक वर्ग को आह्वान किया था कि वह श्रमिक वर्ग विरोधी, जन विरोधी, साम्प्रदायिक तथा फाशीवादी ताकतों की हार को यकीनी बनाए जिनका प्रतिनिधित्व भाजपा करती है; उन शक्तियों को भी पराजित करने का आह्वान किया गया था जिन्होंने भाजपा के साथ गठजोड़ करके अवसरवादिता का परिचय दिया था। जहां तक केन्द्र में मिली हमारी जानकारी का सम्बन्ध है, सीआइटीयू के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानो पर अपनी जिम्मेदारी का समुचित ढंग से पालन किया था। यह भी हमारे संगठन की अपार शक्ति तथा ओजस्विता का एक प्रमाण है।

12.3 जहां हम इन दो प्रमुख घटनाओं में अपने कार्य प्रदर्शन को लेकर उचित रूप में कुछ संतोष का अनुभव कर सकते हैं फिर भी यह प्रश्न तो अपने स्थान पर बना ही हुआ है: ''हमने इन अभियानों के दौरान तथा उनके बाद सीआइटीयू संगठन का प्रसार करने और उसे मजबूत बनाने कहां तक जागरूक प्रयास किये हैं और उसके कैसे परिणाम निकले हैं?'' हम संघर्षो एवं अभियानों में व्यस्त हो जाते हैं किन्तु उस समय अपने संगठन का प्रसार करने और उसे मजबूत बनाने के प्रश्न को भुला देते है; यह हमारी एक बड़ी कमजोरी है।

12.4 जहां तक भुबनेश्वर दस्तावेज में निर्धारित विशेष सांगठनिक कार्यो जिन्हें हमने महाधिवेशनों और जनरल कौंसिल एवं कार्य समिति की बैठकों में पारित दस्तावेजों के माध्यम से और अधिक विस्तृत रूप दिया था, का सम्बन्ध है; हमने समय–समय पर आत्म आलोचना परक ढंग से उसके कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की है। हम पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं और यह उचित रूप में माना जा सकता है कि ग्यारहवें महाधिवेशन के बाद की अवधि में संगठन की स्थिति में पर्याप्त सुधार अथवा परिवर्तन नहीं आया है। इसलिये ग्यारहवें महाधिवेशन में प्रस्तुत संगठनात्मक समीक्षा के प्रारम्भिक बिंदु से जनरल कौंसिल की इस बैठक में इस प्रश्न पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। उस समीक्षा की प्रमुख विशेषताओं का पुनर्प्रकाशन यहां किया जाता है:–

''हम किन क्षेत्रों में विफल रहे हैं; हमें निर्ममतापूर्वक उनका पता लगाना चाहिये; जहां यह काम करना जरूरी है वहीं हमें उन सफलताओं की अनदेखी भी नहीं करनी चाहिये जो हमने प्राप्त की हैं भले ही वे कितनी कम क्यों न हों। ग्यारहवें महाधिवेशन में प्रस्तुत समीक्षा में हमारे संगठन की ओर से दसवें महाधिवेशन के बाद की अवधि में की गई प्रगति का उल्लेख किया गया था।

1. अधिकांश राज्यों की ओर से संगठनात्मक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
2. सीआइटीयू सैक्रेटेरिएट की ओर से संयुक्त संघर्षों तथा श्रमिक आंदोलन की मजबूती की समीक्षा करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
3. हिन्दी भाषी क्षेत्रों के नेतृत्वकारी साथियों की बैठकें समय–समय पर होती रही हैं।
4. हम कुछ नये क्षेत्रों में अपनी पैठ जमा सके हैं, चाहे यह सीमित सीमा तक ही क्यों न हो।
5. कुछ राज्य समितियों के कार्य प्रदर्शन एवं कार्य प्रणाली में कुछ सुधार आया है।
6. कुछ राज्य समितियों की ओर से ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन किया गया।
7. सीआइटीयू केन्द्र की ओर से फेडरेशनों की कार्य प्रणाली पर विचार विमर्श किये जाने प्रक्रिया शुरू की गई; इसकी शुरूआत कोयला उद्योग से की गई है।
8. केन्द्र में सामूहिक कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिये समय–समय पर प्रयास किये जाते रहे हैं और उसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकले है।

12.5 समीक्षा सम्बन्धी दस्तावेज में इसके बाद संगठन के मामले में हमारी प्रमुख विफलताओं की सूची दी गई है:—

1. हम अपनी सदस्य संख्या को 40 लाख तक पहुंचाने के लक्ष्य से अब भी बहुत पीछे हैं। संगठन का असमान विकास पहले की तरह चल रहा है।
2. अधिकांश फेडरेशनों ने गम्भीरता के साथ अपनी संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा नहीं की है।
3. केन्द्र में सभी प्रकार से सामूहिक कार्य प्रणाली का विकास करने के लिये अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
4. हम ''राज्यों में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिये सुगठित योजना'' अभी तक बना नहीं पाए हैं।
5. केन्द्र ट्रेड यूनियन शिक्षा के लिये सुनियोजित प्रयास करने में सक्षम नहीं हो सका और न ही उसकी ओर से इसके लिये पाठ्यक्रम तैयार किया जा सका है जिसका वादा उसने किया था।

12.6 इन प्रश्नों पर विस्तार में चर्चा करते समय समीक्षा में बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर चलने वाले ट्रेड यूनियन संघर्षों एवं कार्यक्रमों में हमारी प्रभावशाली भागीदारी रही है; यह तथ्य हमारी राज्य समितियों की सांगठनिक पहलकदमी को प्रतिबिम्बित करता है। दुर्भाग्यवश, इस प्रकार की सफल ट्रेंड यूनियन कार्रवाईयां किये जाने पर भी हमारे सांगठनिक आधार का अपेक्षित विकास एवं फैलाव नहीं हो पाया है। इसकी जड़ उपयुक्त सांगठनिक दृष्टिकोण अपना कर इन संघर्षों से निपटने में हमारी अक्षमता तथा हमारे संगठन की सामान्य कमजोरी है। जहां तक फैडरेशनों का सम्बन्ध है, अधिकांश महासंघों अथवा फेडरेशनों के मामले में अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्वकारी साथियों की एक टीम का विकास करने के लिये जागरूक प्रयासों का अभाव रहा है। इस समीक्षा ने हमारा ध्यान फैडरेशनों के अखिल भारतीय नेतृत्व तथा सम्बन्धित राज्यों के नेतृत्व के बीच आपसी तालमेल के अभाव की ओर भी दिलाया है।

12.7 श्रमिक वर्ग तथा व्यापक रूप से जन साधारण पर बढ़ते चले जा रहे हमलों का उल्लेख करते हुए समीक्षा

में कहा गया है: ''हम श्रमिक वर्ग को समुचित दिशा में नेतृत्व देने में तभी सक्षम हो सकेंगे जब हम अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिये जरूरी प्रयास करेंगे।''

12.8 वास्तव में, हम 1990 के दशक के शुरू से ही अपने संगठन को कारगर बनाने के लिये लगातार प्रयास करते चले आ रहे हैं और हमने श्रमिक वर्ग तथा जन साधारण पर बढ़ते हमलों के कारण पैदा चुनौती का डट कर सामना करने के लिये इसे गतिशील भी बनाया है। सीआइटीयू की भुबनेश्वर में आयोजित जनरल कौंसिल बैठक में पारित दस्तावेज हमारे लिये एक ठोस एवं शक्तिशाली हथियार है। इस दस्तावेज को कहां तक कार्यरूप दिया जा सका इसके लिये हमने समय–समय पर इसकी प्रगति की समीक्षा की है। इसके अतिरिक्त हम संगठन से जुड़ी समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर समय–समय पर विचार करते रहे हैं। हम कुछ हद तक दस्तावेज में निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने में निश्चित रूप से सफल रहे हैं। किन्तु अब भी जैसा कि ग्यारहवें महाधिवेशन के लिये महासचिव की रिपोर्ट में कहा गया था: ''हम क्या कुछ कर चुके हैं और हमारे लिये क्या कुछ करना अभी बाकी है, इसके बीच की खाई अब भी गहरी है और संगठन की हालत अब भी हमारे लिये चिंता का विषय बनी हुई है। इसलिये एक दशक से भी अधिक समय तक चलाई गई इस कार्रवाई के अंत में संगठन की मौजूदा हालत की समग्र समीक्षा किये जाने और भुबनेश्वर दस्तावेज के कार्यान्वयन के मामले में दृढ़ रुख अपनाए जाने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है, जो सही है।

12.9 इसलिये यह निष्कर्ष निकाला गया था कि संगठन में सुधार लाने के उद्देश्य से (यह प्रक्रिया इस समय अपनी गति खो चुकी है) भुबनेश्वर दस्तावेज तथा उसके बाद के दस्तावेजों के कार्यान्वयन की नये सिरे से समीक्षा की जाए; इस काम में अब और देरी नहीं की जानी चाहिये। ''इस महाधिवेशन के तत्काल पश्चात् यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीआइटीयू का नया सैक्रेटेरिएट यह समीक्षा प्राथमिकता वाले काम के तौर पर करे।''

12.10 विस्तृत समीक्षा : हमारे लिये अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य संगठनात्मक कार्य यह है कि हम ग्यारहवें महाधिवेशन के निदेशों को लागू करने के लिये तत्काल काम करना शुरू कर दें: ''संगठन की स्थिति की गम्भीरता पूर्वक समीक्षा करना, भुबनेश्वर दस्तावेज को कार्यरूप देना और सांगठनिक कार्यों का निर्धारण करना।'' समीक्षा करने का यह काम मात्र नियमित कार्रवाई नहीं होना चाहिये और न ही यह पिछली कार्रवाई का दोहराव होना चाहिये। हमारे लिये और अधिक गहराई में जाने की जरूरत है। एक दशक से भी अधिक समय हो चुका है जब भुबनेश्वर दस्तावेज को पारित किया गया था; इसके बाद भी हम यही महसूस करते हैं कि इस दस्तावेज का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा; कम से कम इस समय हम यही कहेंगे। इसका क्या कारण है, हमें पता लगाना होगा। क्या यह वस्तुपरक कारक है, हमारे साथियों की मानसिक स्थिति कुछ इस प्रकार की है अथवा क्या इसके लिये कोई उद्देश्य परक कारक जिम्मेदार है? जब तक हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ नहीं पाएंगे तब तक केवल बार–बार बहस करते चले जाने और सद्इच्छा भरे निर्णय लेते रहने से काम नहीं चलेगा। हम इसके बल पर बहुत आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक दशक से भी अधिक समय के हमारे कार्य प्रदर्शनों से जो हमें अनुभव होते रहे हैं, उनकी पूरी तरह समीक्षा की जानी चाहिये और समीक्षा करते समय हमें इस विषय का गहराई में जाकर अध्ययन करना होगा।

12.11 समीक्षा करने का काम प्रमुख रूप से सीआइटीयू सैक्रेटेरिएट का है, कहने की आवश्यकता नहीं। किन्तु शून्य में तो यह समीक्षा नहीं की जा सकती। राज्यों में हमारे संगठन की स्थिति वास्तव में कैसी है और महासंघों की संगठनात्मक स्थिति कैसी है और इसके साथ–साथ श्रमिकों तथा कार्यकर्ताओं की समझ का स्तर

क्या है; जब तक हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे और इसकी उद्देश्यपरक रिपोर्ट के आधार पर विचार विमर्श नहीं करेंगे तब तक हमारी समीक्षा अर्थपूर्ण नहीं हो सकती। राज्य समितियों और उनके साथ–साथ फैडरेशनों की कार्य समितियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर संगठन की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उनकी ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारियों का समावेश करके तैयार की जाने वाली यह व्यापक समीक्षा रिपोर्ट सीआइटीयू कार्य समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत की जा सकती है और तब नये सिरे से कार्यो का निर्धारण किया जा सकता है।

12.12 फैडरेशनें : अतीत में हम यह काम करते समय मूल रूप से अपना ध्यान राज्यों पर केन्द्रित करते रहे हैं। समीक्षा करते समय हमें विशेष रूप से यह बात ध्यान में रखनी होगी। उद्योगवार महासंघों की ओर हमने अपना ध्यान बहुत कम केन्द्रित किया है। हमारे संस्थापकों ने इन उद्योगवार महासंघों की परिकल्पना करते समय देश में श्रमिक आंदोलन में उनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया था। देश भर में फैले किसी प्रमुख उद्योग की विभिन्न इकाईयों को परस्पर जोड़ने तथा आंदोलन को अखिल भारतीय प्रकृति का बनाने का काम फैडरेशनें ही करती है। यदि वे समुचित ढंग से काम करें तो वे आंदोलन को कमजोर क्षेत्रों में ले जाने वाले वाहन का काम कर सकते हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश कुछेक फैडरेशनों को छोड़ कर शेष सभी फैडरेशनें अपेक्षित ढंग से काम नहीं कर रही है। संगठनात्मक समीक्षा करते समय हमें और बातों के इलावा फैडरेशनों के कार्य प्रदर्शन की ओर भी समुचित ध्यान देना चाहिये।

12.13 ट्रेड यूनियन शिक्षा : सीआइटीयू सैक्रेटेरिएट की प्रत्येक महाधिवेशन तथा जनरल कौंसिल एवं कार्य समिति की बैठकों में ट्रेड यूनियन शिक्षा के लिये कार्यक्रम चलाने के प्रश्न पर उसकी विफलता को लेकर आलोचना की जाती रही है; इसमें गलत कुछ नहीं है। तीन विषयों श्रमिक आंदोलन का इतिहास, राजनीतिक आर्थिकता तथा समाजवाद पर पाठ्यक्रम बनाने के मामले में भी सैक्रेटेरिएट विफल रहा है। अब सीआइटीयू ने बीटीआर जन्म शताब्दी के भाग के रूप में शिक्षा का एक सघन एवं विस्तारित कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है। इस योजना में कामरेड बीटीआर के जीवन तथा शिक्षाओं पर अनेक पुस्तिकाओं का प्रकाशन करने के अतिरिक्त ट्रेड यूनियन संगठन पर कक्षाओं का आयोजन करना भी शामिल है; ये कक्षाएं सभी स्तरों पर लगाई जाएंगी। आगे चल कर केन्द्रीय स्तर पर ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा; ये कक्षाएं दक्षिण, पूर्व तथा हिन्दी भाषी क्षेत्र जिसमें महाराष्ट्र तथा गुजरात भी शामिल है, के लिये अलग–अलग लगाई जाएंगी। इस चक्र की कक्षाओं में राज्य के नेतृत्वकारी साथी भाग लेंगे। राज्य समितियों के अध्यक्षों तथा महासचिवों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। दक्षिण क्षेत्र तथा हिंदी भाषी क्षेत्र की कक्षाओं का आयोजन अगस्त महीने में नयी दिल्ली तथा तिरुवनंथपुरम में अलग–अलग समय पर किया जाएगा। पूर्वी क्षेत्र की कक्षाओं का आयोजन कोलकाता में सितम्बर के शुरू में किया जाएगा। राज्य समितियों की ओर से दूसरे स्तरों पर केन्द्र की सहायता से इस चक्र की समाप्ति के पश्चात् कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान चक्र की कक्षाओं के लिये नोट्स तैयार किये जा रहे हैं।

12.14 केन्द्र की कार्य प्रणाली : कुछेक संगठनात्मक कमजोरियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्यारहवें महाधिवेशन की रिपोर्ट में कहा गया था: "इस मामले में निश्चित रूप से दोष केन्द्र का ही है।" हमारा सूत्रीकरण अथवा प्रतिपादन सही है, किन्तु इसमें विशेष तौर पर सावधानी बनाए रखने की जरूरत है। केन्द्र की ओर से निभाई जा रही भूमिका को कम करके देखना उचित नहीं है और न ही इससे कोई सहायता मिलेगी; उसके बिना सीआइटीयू देश के श्रमिक आंदोलन में अपना प्रमुख स्थान नहीं बना पाता। जहां केन्द्र ने स्वीकार किया है कि व्यापक स्तर पर उसके दायित्वों के निर्वहन में अनेक कमजोरियां पाई जाती है। हम यदि जोर दे देकर

इसके लिये केवल केन्द्र को ही जिम्मेदार करार देते रहे और राज्यों, फैडरेशनों तथा यूनियन नेतृत्व की भूमिका का आंकलन कम करके करते रहें तो यह भी उतना ही अनुचित एवं नुकसानदेह होगा। यदि हमने अपनी दुर्बलताओं पर काबू पाना है तो हमें संतुलित एवं उद्देश्यपरक दृष्टिकोण अपनाना होगा और स्पष्ट रूप में अनुभव करना होगा कि यह सामूहिक दायित्व का मामला है और इसकी जिम्मेदारी आनुपातिक रूप में हमारे संगठन के विभिन्न अंगों पर आती है।

12.15 जहां इस समीक्षा की तैयारी की प्रक्रिया चलती रहेगी और इसके एक भाग के रूप में केन्द्र जितनी जल्दी सम्भव हो सका खुद अपनी कार्य प्रणाली की समीक्षा करेगा। ग्यारहवें महाधिवेशन और नये पदाधिकारियों के केन्द्र में अपना कार्यभार सम्हाल लिये जाने आ जाने के बाद केन्द्र में कामों का पुनर्वितरण किया गया है।

12.16 वर्तमान में जारी प्रक्रिया : पिछली बहस के समय हमने उल्लेख किया था कि संगठन में सुधार लाने के लिये भुबनेश्वर दस्तावेज का कार्यान्वयन 'एक सदा चलती रहने वाली प्रक्रिया' है। वास्तव में, समय–समय पर की जाने वाली समीक्षा इसी प्रक्रिया का एक भाग है। जब हम प्रमुखता देकर बड़े स्तर पर अपने कामों की समीक्षा करते हैं.तो उसका अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि जब तक समीक्षा करने का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक यह प्रक्रिया स्थगित रहेगी; हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये। यह प्रक्रिया एक दशक से भी अधिक समय से चल रही है; दशकों तक चलेगी और इसे चलते रहना ही चाहिये और तभी हम अपनी कार्य प्रणालियों को लेकर विस्तृत समीक्षा कर पाएंगे।

12.17 हम प्रस्तावित समीक्षा की प्रक्रिया चला कर अपने संगठन को बेहतर स्थिति में लाएंगे और उसमें गुणात्मक तबदीलियां लाएंगे; आईये, हम इसी संकल्प के साथ इस दिशा में आगे बढ़ें।

13. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

13.1 महाधिवेशन में विदेशी प्रतिनिधियों ने भारी संख्या में भाग लिया। उनकी उपस्थिति सीआइटीयू के बढ़ते अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे का परिचायक है।

13.2 ग्यारवें महाधिवेशन के पश्चात् सीआइटीयू के अनेक नेताओं ने दूसरे देशों में हमारे भ्रातृ संगठनों के निमंत्रण पर अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों एवं कार्यक्रमों में सीआइटीयू का प्रतिनिधित्व किया है। ए के लाल ने कृषि, खाद्य, वाणिज्य तथा कपड़ा उद्योगों के श्रमिकों के ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल के सम्मेलन में भाग लिया; सीआइटीयू की महाराष्ट्र राज्य समिति के सचिव पी आर कृष्णन ने 21–24 अप्रैल, 2004 को मैड्रिड में स्पेन के श्रमिक संघों के परिसंघ की आठवीं कांग्रेस में भाग लिया; एम के नंदी ने मई दिवस समारोहों के सिलसिले में क्यूबा का दौरा किया; एम के पन्धे, एस देव राय, प्रशांत नंदी चौधरी, कुमारी अम्मा मुरारी बोस तथा मशणाल बनर्जी ने इंटरनेशनल एनर्जी एण्ड माइन आर्गेनाइजेशन के मोराको में आयोजित समारोह में भाग लिया; किंगसुक दत्ता ने सियोल का दौरा किया। पाकिस्तान से एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सद्भावना दौरे पर सीआइटीयू के केन्द्रीय कार्यालय में आया।

13.3 कामरेड जे बल्लभ जो बहुत लम्बे समय तक सीआइटीयू केन्द्र में अन्तर्राष्ट्रीय विभाग के प्रमुख रहे हैं और उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के श्रमिक संगठनों के साथ नियमित एवं सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों

को बनाए रखने में योगदान दिया था, स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों के चलते अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने बेटे के पास चीन चले गए हैं। उनके बीजिंग जाने से पहले सीआइटीयू केन्द्र के साथियों की ओर से विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

14. सदस्यता पर

14.1 राज्यवार सदस्यता का विवरण 'अनुलग्निका 1' के रूप में इसके साथ नत्थी वक्तव्य में दिया गया है। उससे पता चलता है कि बार–बार अनुरोध किये जाने पर भी हमारे श्रमिक संघों ने वर्ष 2003 के लिये अपनी वार्षिक विवरणियां तथा सम्बद्धता शुल्क जमा नहीं कराए हैं। यद्यपि असम, पंजाब, त्रिपुरा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने कुछेक विवरणियां तथा धन भेजा है, किन्तु बहुसंख्य राज्यों की ओर से इन्हें अभी तक भेजा नहीं गया है जबकि उन्हें समय पर अपनी वार्षिक विवरणियां तथा सम्बद्धता शुल्क भेज देना चाहिये था। वर्ष 2002 क्योंकि सीआइटीयू सम्मेलन का वर्ष था, उसके आधार पर प्रतिनिधिमण्डल को अंतिम रूप दिया गया था। उस वर्ष की वार्षिक विवरणियों तथा सम्बद्धता शुल्क को भेजने का काम लगभग पूरा हो गया था। इसके फलस्वरूप हमें भारत सरकार की ओर से सदस्यता के सत्यापन के लिये चलाई जा रही प्रक्रिया के लिये सीआइटीयू की कुल सदस्य संख्या के दावे भेजने में आसानी हुई थी। यद्यपि हमने पिछले महाधिवेशन में सीआइटीयू की सदस्य संख्या को चालीस लाख करने के लक्ष्य को दोहराया गया था किन्तु अपने संगठन का प्रसार करने के लिये हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सके। वार्षिक विवरणियां अभी तक भेजी नहीं गई इसलिये हम अपने प्रयासों का विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं हैं, यह दुर्भाग्य का विषय है। हमारी राज्य समितियों ने नये सदस्यों की भर्ती के लिये नये क्षेत्रों में अपनी पैठ जमाने की कोशिशें की हैं या नहीं; हम इस विषय में भी कुछ कहने की हालत में नहीं हैं। इसलिये सीआइटीयू केन्द्र उन कारणों का पता लगाने तथा विफल रहने जैसी समस्याओं का समाधान करने और संगठन के विभिन्न प्रमुख अंगों तथा निकायों की ओर से अपने जिम्मे लिये गए कामों एवं फैसलों को कार्यान्वित नहीं कर पाने जैसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभा नहीं सकता और न खुद कोई कार्रवाई कर सकता है। हमें यह बात याद रखनी होगी कि इस स्थिति में हमारे लिये आगे बढ़ने तथा अपने संगठन का प्रसार करने के लिये बहुत अवसर हैं; इन अवसरों का लाभ उठाने के लिये हमें कठोर परिश्रम करना होगा। इसलिये हमारी राज्य समितियों को यकीनी बनाना होगा कि पिछले वर्ष के सम्बद्धता शुल्क के साथ वार्षिक विवरणियां प्रत्येक वर्ष 30 जून तक भेज दी जाएं।

15. सदस्यता के सत्यापन अथवा वेरिफिकेशन पर

15.1 भारत सरकार ने वर्ष 2002 की सदस्य संख्या के आधार पर केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की सदस्य संख्या के नये सिरे से सत्यापन अथवा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है; आपको इसकी जानकारी जरूर होगी। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले संगठनों की संख्या 12 है; उनकी ओर से अपने दावे भेजे जा चुके हैं (देखें तालिका)। इन दावों की जांच करने और उन पर आपत्तियां दायर करने के लिये उनकी ओर से अपने–अपने दावे एक दूसरे को भेजे जा चुके हैं। यह प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और अब उसके तीसरे चरण की शुरूआत होगी जहां सरकार की ओर से उसके अंतिम अस्थायी परिणामों की घोषणा करने से पहले रिकार्ड की जांच की जाएगी तथा मौके पर सदस्यता का सत्यापन किया जाएगा। पूरी जांच पड़ताल किये जाने के बाद एक बार फिर से जांच की जाएगी और अंतिम परिणामों की घोषणा की जाएगी।

1989 की वेरिफिकेशन

कुल दावा (1989)		सत्यापित (1989)
इंटक	54 लाख (9.3 लाख)	27.06 (1.19 लाख) 50 प्रतिशत
एचएमएस	44 लाख (6.84 लाख)	14.76 (1.58 लाख) 33.5 प्रतिशत
बीएमएस	41 लाख (4.04 लाख)	31.17 (3.48 लाख) 77 प्रतिशत
एटक	30 लाख (7.96 लाख)	9.23 (17 लाख) 30 प्रतिशत
सीआइटीयू	24 लाख (.93 लाख)	17.98 (.30 लाख) 75 प्रतिशत
यूटीयूसी (एलएस)	12 लाख (5.70 लाख)	8.02 (3.69 लाख) 66 प्रतिशत
यूटीयूसी	8 लाख (3.14 लाख)	5.39 (3.10 लाख) 65 प्रतिशत

वर्ष 2002 तक की सदस्यता के लिये मौजूदा वेरिफिकेशन

केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से सदस्य संख्या के बारे में किये गए दावे		बढ़ोतरी (1989 की तुलना में)
इंटक	78.7 लाख (14.31 लाख)	45 प्रतिशत
एचएमएस	53.5 लाख (10.3 लाख)	21.6 प्रतिशत
बीएमएस	83.18 लाख (15.8 लाख)	102 प्रतिशत
एटक	46.12 लाख (16.7 लाख)	53.7 प्रतिशत
सीआइटीयू	34.31 लाख (2.45 लाख)	42.9 प्रतिशत
यूटीयूसी (एलएस)	16.03 लाख (8.18 लाख)	33.6 प्रतिशत
यूटीयूसी	7.81 लाख (3.8 लाख)	2.37 प्रतिशत

निष्कर्ष

1. वर्ष 2002 में किये गए कुल दावे 4 करोड़ से अधिक हैं जबकि पिछली बार 2.5 करोड़ सदस्य संख्या के दावे किये गए थे।

15.2 साथियो, इससे पहले कि मैं आपको तीसरे चरण के बारे में कोई सूचना दूं; मैं पूरी गम्भीरता के साथ आपका ध्यान हमारे लिये महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक इस चुनौती के प्रति हमारी कुछ राज्य समितियों के रुख की ओर दिलाना चाहता हूं; जिसमें गम्भीरता का अभाव है।

15.3 इस बार प्रमुख केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से अपनी सदस्य संख्या के बारे में असामान्य दावे किये गए हैं; इसके चलते सीआइटीयू उनसे कहीं पीछे अर्थात् पांचवें स्थान पर आ गया है; इसलिये इस बार की वेरिफिकेशन ने नये आयाम जोड़े हैं। इस प्रश्न पर 9 मार्च को सीआइटीयू केन्द्र में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में विचार किया गया था। उस बैठक में कुछ विशेष फैसले किये गए थे विशेष तौर पर दूसरे चार प्रमुख

केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से किये गए दावों की गम्भीरता पूर्वक जांच कराए जाने के सम्बन्ध में हमने फैसले लिये थे। राज्यों को इन सभी प्रमुख केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के दावों की प्रतियां भेजी गई थीं और फैसला यह हुआ था कि राज्य दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से अपनी सदस्य संख्या के बारे में बढ़ा चढ़ा कर किये गए दावों पर अपनी आपत्तियों का उल्लेख करके उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर केन्द्र को लौटा देंगे।

15.4 दुर्भाग्यवश, कुछेक राज्यों को छोड़ कर बहुसंख्य राज्यों की ओर से 9 मार्च की बैठक में लिये गए इस महत्वपूर्ण फैसले को लागू नहीं किया गया। इसके चलते सीआइटीयू केन्द्र बहुत कठिन स्थिति में फंस गया है और उसे अपनी आपत्तियों को आगे भेजने में दिक्कत पेश आ रही है; दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के झूठे दावों को बेनकाब किये जाने के लिये यह काम करना बेहद जरूरी था ताकि हम देश में तीसरे सबसे बड़े श्रमिक संगठन होने के अपने पिछले स्थान को बनाए रखना यकीनी बना सकें।

सदस्य संख्या के सत्यापन अथवा वेरिफिकेशन का तीसरा चरण अब शुरू होने जा रहा है। सम्बद्ध श्रमिक संघों से अपने रिकार्ड पेश करने के लिये कहा जाएगा (2002 के लिये सदस्यता का रजिस्टर, रजिस्टर के साथ सम्बन्धित रसीद बुक, पंजीकरण का प्रमाण पत्र, सम्बद्धता प्रमाण पत्र, वर्ष 2002 की वार्षिक विवरणियां और उसके साथ उन्हें श्रम कार्यालय में भेजे जाने से सम्बन्धित प्रमाण इत्यादि)। अनेक मामलों में मौके पर जाकर भी सदस्यता का वेरिफिकेशन किया जाएगा। राज्य समितियों को उन्हें समय समय पर श्रम विभाग तथा सत्यापन अधिकारी की ओर से जारी की जानी वाली सूचनाओं के मामले में चौकसी से काम लेना होगा। वे कम से कम तीसरे चरण में ही इस काम को गम्भीरता से लें; यह बात उन्हें यकीनी बनानी होगी। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के समय उन्हें प्रभावशाली ढंग से अपने दावों को प्रमाणित करना होगा और सम्बन्धित अधिकारियों की ओर से मांगी गई जानकारी तत्काल उपलब्ध करानी चाहिये ताकि सत्यापन अधिकारियों की ओर से उनके दावों को स्वीकार किया जाना यकीनी बनाया जा सके। सीआइटीयू की ओर से किये गए दावों की विस्तृत यूनियन–वार सूची सम्बन्धित राज्यों को पहले ही भेजी जा चुकी है। हमें यकीनी बनाना होगा कि सीआइटीयू की किसी भी यूनियन की सदस्य संख्या हमारी गलती के चलते रद्द न हो जाए। दूसरे शब्दों में हमारे सभी श्रमिक संघों को सम्बन्धित रिकार्ड के साथ तैयार बर तैयार रहना होगा और यदि ट्रेड यूनियन कार्यालय के पंजीकरण अधिकारी की ओर से उनके पास कोई निदेश भेजा जाता है तो उन्हें वेरिफिकेशन के अपने दावे के साथ उसका जवाब देना चाहिये। आपको यह बात समझ लेनी चाहिये कि किये गए दावों के आधार पर हम पहले ही पांचवें स्थान पर धकेले जा चुके है। इसलिये यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी ओर से किये गए दावों को सत्यापित कराने के लिये भरसक प्रयास करें।

16. हमारे कार्य तथा हमारी जिम्मेदारियां

16.1 वर्तमान स्थिति सीआइटीयू के कंधों पर भारी भरकम जिम्मेदारियों का बोझ डालने वाली है। संसदीय चुनावों में भाजपा गठबंधन की पराजय तथा उसके स्थान पर केन्द्र में यूपीए सरकार जिसे वामपक्षी दल बाहर रह कर समर्थन दे रहे हैं, का गठन हो जाने के फलस्वरूप मेहनतकश अवाम में भारी आशाओं ने जन्म ले लिया है। कांग्रेस के नेतश्त्व वाले सत्ताधारी गठबंधन के वर्गीय चरित्र तथा रुझानों को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह गठबंधन उदारीकृत नीति की सत्ता को बरकरार रखना चाहता है। इस बात की सम्भावना नहीं है कि लोगों की अपेक्षाओं जो चुनावी जनादेश में प्रतिबिम्बित हुई थीं, का सकारात्मक प्रत्युत्तर दिया जाएगा; भले ही यह सरकार अपने शासन को बनाए रखने के लिये वाम दलों पर निर्भर क्यों न करती हो।

नयी सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में दर्ज अनेक जन पक्षीय प्रतिबद्धताओं को किस सीमा तक कार्यरूप देती है; हमें इस पर निगरानी रखनी होगी। वित्त मंत्री पी चिदाम्बरम की ओर से हाल ही में प्रस्तुत 2004–05 के बजट में भले कुछ सकारात्मक कार्रवाईयां किये जाने के संकेत मिलते हैं; वे इन्हें कहां तक कार्यान्वित करेंगे, यह देखना अभी बाकी है। इस पृष्ठभूमि में, श्रमिक आंदोलन को शक्तिशाली देशव्यापी लामबंदी, अभियान एवं आंदोलन चला कर जहां सांझे न्यूनतम कार्यक्रम की जन पक्षीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की मांग करनी होगी वहीं आर्थिक नीतियों की दिशा को बदलने पर भी बल देना होगा; इस प्रकार उसे जनता की अपेक्षाओं पर पूरा उतरने के लिये अपने कर्त्तव्यों का निवर्हन करना होगा।

16.2 श्रमिक आंदोलन को साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने के महान दायित्व का बोझ भी अपने कंधों पर उठाना होगा। इस संघर्ष के आयामों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं।

16.3 इस पृष्ठभूमि में, सीआइटीयू को सुनिश्चित बनाना होगा कि साम्प्रदायिक शक्तियां विनाशकारी उदारीकृत नीति की सत्ता के विरोध पक्ष की भूमिका को हथिया न ले; उसे अत्यंत सजग होकर साम्प्रदायिक शक्तियों की कार्रवाईयों पर नजर रखनी होगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये श्रमिक आंदोलन को आगे बढ़ कर श्रमिकों तथा सभी श्रेणियों के लोगों की चिंताओं को मुखर अभिव्यक्ति देनी होगी; उसे पहलकदमियां करनी होंगी और पूरे समर्पण भाव एवं गम्भीरता के साथ काम करना होगा; जनता तथा श्रमिक वर्ग की मांगों के लिये उसे सभी विधियों एवं साधनों की सहायता से देशव्यापी संयुक्त अभियान तथा संघर्ष चलाने होंगे। लोगों की चिंताओं को स्वर देने के लिये उसे जागरूक रह कर आक्रमक एवं सक्रिय भूमिका निभानी होगी, प्रतिरक्षात्मक नहीं। केवल ऐसा करके ही जहां वह साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष कर सकता है वहीं श्रमिक वर्ग तथा जन साधारण के हितों की रक्षा भी कर सकेगा अर्थात् अपने दोहरे लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा।

16.4 इस संदर्भ में, हमें संघर्ष के कार्यक्रमों के लिये सीधा एवं स्पष्ट रुख अपनाने के मामले में श्रमिक आंदोलन में हमारे सहयोगियों की ओर से दिखाए जा रहे ढिलमुलपन एवं हिचकिचाहट से भी प्रभावी ढंग से निपटना होगा। यद्यपि 24 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल ने श्रमिक आंदोलन की एकता को नये आयाम दिये हैं और समय की कसौटी पर खरी उतरी इस सच्चाई को पुनः दोहराया है: "संघर्ष के लिये श्रमिक वर्ग की एकता तथा इसका निर्माण केवल संघर्ष के द्वारा हो सकता है" और तृणमूल स्तर पर संघर्ष तथा एकता के लिये यह ललक आगामी संघर्षों में श्रमिक आंदोलन की ठोस एकता को चिरस्थायी तथा यकीनी बना सकती है। यह श्रमिक वर्ग के संयुक्त संघर्ष की कार्रवाई थी किन्तु इसके लिये सभी श्रमिक संगठनों की एकता नहीं थी। श्रमिक आंदोलन में सभी श्रमिक संगठनों की एकता एक रणनीतिक नारा है; इसका उद्देश्य है सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग को संगठित करना। किन्तु व्यवहार में, इन नारे को संघर्ष के विभिन्न चरणों में से गुजर कर ही अमल में उतारा जा सकता है। जहां हम अपनी श्रेणी को सम्पूर्ण रूप में एकताबद्ध करने की कोशिशें करते हैं वहीं हम इन सभी वर्षों में अर्जित की गई अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने और अपनी नियत भूमिका निर्वहन करने के लिये संघर्ष चलाने के मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकते।

16.5 हमें इस काम के लिये स्वयं को विचारधारात्मक तथा संगठनात्मक दोनों तरह से तैयार करना होगा। हमें प्रकट रूप में या दूसरे किसी भी रूप में किसी भी स्तर पर नव–उदार आर्थिक नीतियों के प्रति अपने दृढ़ विरोध को जारी रखना होगा और इसे यकीनी बनाना होगा। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिये हमें उदारीकरण विरोधी संघर्ष के मंचों जैसे भारत के श्रमिक संघों की प्रायोजन समिति तथा राष्ट्रीय जन संगठन मंच (एनपीएमओ) को फिर से सक्रिय एवं मजबूत बनाने के कामों को प्राथमिकता देनी होगी। हमारे कुछ

सहयोगी संगठनों ने इस सम्बन्ध में उदासीन रुख अपना रखा है; इसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। हमें धैर्य पूर्वक इस प्रकार के रुझान का प्रतिकार करना होगा और भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ संघर्ष के धर्म निरपेक्ष एवं संयुक्त मंच के नाभिकीय केन्द्र के रूप में प्रायोजन समिति तथा एनपीएमओ को केन्द्र में लाने के लिये जी तोड़ प्रयास करने होंगे।

16.6 इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सीआइटीयू यूनियनों तथा हमारे भ्रातृ श्रमिक संघों एवं जन संगठनों द्वारा हमारे काम के प्रति संयुक्त समझ के साथ अधिकाधिक लामबंदी तथा अधिकाधिक पहलकदमी को सुनिश्चित एवं सक्रिय बनाया जाए।

16.7 संक्षेप में, हम अपने तात्कालिक कार्यों की रूपरेखा का निर्धारण इस प्रकार कर सकते हैं:–

1. उन मुद्दों को लेकर देशव्यापी स्वतंत्र अभियान चलाना जिन्हें श्रमिक संघों की ओर से श्रम मंत्री को भेंट किये गए संयुक्त ज्ञापन तथा सीआइटीयू की ओर से वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री को दिये गए ज्ञापन में विस्तार में दिया गया है।

2. क) जन पक्षीय आर्थिक नीतियों और सीएमपी में दर्ज जन पक्षीय प्रतिबद्धताओं को अमल में उतारने की मांग के लिये; ख) हवाई अड्डों के निजीकरण की कोशिशों और दूरसंचार, नागरिक उड्डयन तथा बीमा अथवा अर्थ व्यवस्था के किसी दूसरे सामरिक क्षेत्र में विदेशी भागीदारी बढ़ाने के लिये अनुमति दिये जाने के खिलाफ; ग) उद्योगों की लघु इकाईयों के लिये आरक्षित उत्पादों को आरक्षण सूची में से निकाले जाने के खिलाफ और घ) सार्वजनिक इकाईयों में अनावश्यक रूप से सरकारी हिस्सेदारी को कम किये जाने तथा दूसरे मुद्दों पर देश भर में विशाल लामबंदी करके राष्ट्रीय जन संगठन मंच तथा श्रमिक संघों की प्रायोजन समिति को सक्रिय बनाना।

3. भविष्य निधि तथा दूसरी बचतों पर ब्याज की दरों को कम किये जाने के खिलाफ तथा सरकारी सेवाओं में प्रवेश करने वाले नये कर्मचारियों के लिये नयी परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना को जारी रखे जाने और इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत लाभ दिये जाने के समय कर लगाए जाने के खिलाफ श्रमिक संघों के संयुक्त अभियान एवं आंदोलन को संगठित करना।

4. साम्प्रदायिकता तथा दूसरे विभाजक रुझानों के खिलाफ संगठन के सभी स्तरों पर स्वतंत्र अभियान चलाना और कार्यकर्ताओं को इस अभियान के लिये तैयार करना।

5. नवम्बर– दिसम्बर, 2004 में किसी समय 'काम के अधिकार' पर एक विशाल अखिल भारतीय कन्वेंशन की तैयारियां करना।

6. ग्यारहवें महाधिवेशन में लिये गए निर्णय के अनुसार सभी सम्बद्ध श्रमिक संघों के कार्य समिति सदस्यों के लिये राज्यों में ट्रेड यूनियन स्कूल लगाना।

7. सदस्यता के लिये जोरदार एवं लगातार अभियान चला कर जल्द से जल्द सदस्य संख्या को 40 लाख करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अपने प्रयासों को दोगुणा करना।

साथियो,

16.8 अनेक कमजोरियां होने पर भी हमारे देश में श्रमिक आंदोलन केन्द्र में सरकार को बदलने के बारे में सफलतापूर्वक अपनी भूमिका का निर्वहन कर सका है और वह साम्प्रदायिक ताकतों को सत्ता से निकाल बाहर करने में सफल हो संका है। नयी स्थिति में भी भूमण्डलीयकरण विरोधी संघर्ष के लिये इस प्रकार के जोरदार प्रयास किये जाने की जरूरत किसी भी प्रकार से कम नहीं होती; इसकी अपेक्षा यह केवल संयुक्त संघर्षों को तेज करने की आवश्यकता को ही फिर से दोहराती है। वर्तमान स्थिति के गर्भ में हमारे संघर्षों को और आगे बढ़ाने तथा प्रभावी राजनीतिक हस्तक्षेप के लिये श्रमिक आंदोलन की क्षमता का निर्माण किये जाने की अपार सम्भावनाएं विद्यमान हैं। हमें आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिये अपनी उपलब्धियों की रक्षा करनी होगी तथा संघर्षों को और आगे ले जाना होगा। सीआइटीयू समितियों तथा इकाईयों को सभी स्तरों पर खुद को सांगठनिक एवं विचाराधारात्मक रूप से खुद को तैयार करना होगा और इस दिशा में बड़ी तेजी के साथ पहलकदमियां करनी होंगी।

आप सब का अभिनन्दन!

चित्तब्रत मजुमदार
महासचिव